SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

श्रुति

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय,

तिरुवनंतपुरम – 695 001

आवरण पृष्ठ-केरल के राज्य प्रतीक

राज्य पशु-भारतीय हाथी

राज्य मछली-करिमीन

राज्य पक्षी-मलमुप्पक्कि वेप्पांबल

राज्य फल-चक्का

आधिकारिक प्रतीक चिह्न

राज्य वृक्ष-तेङ्ङु

राज्य पुष्प-कणिक्कोन्ना

राज्य तितली-बुद्धमयूरी

राज्य भाषा-मलयाळम

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

(सदैव ऊर्जावान : निरंतर प्रयासरत)

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से प्रशिक्षण और प्राइज़ से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाये रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे; अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्द्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

जय राजभाषा !

जय हिंद !

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

श्रुति

हिंदी गृह पत्रिका
(37वां अंक)
(01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक)

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय,
तिरुवनंतपुरम – 695001

पत्रिका परिवार

मुख्य संरक्षक

सुश्री अतूर्वा सिन्हा

प्रधान महालेखाकार

मुख्य संपादक

श्री बाषा मोहम्मद बी

उप महालेखाकार (प्रशासन)

परामर्शदात्री समिति

श्री एन दिनकरन
वरिष्ठ उप महालेखाकार

सुश्री उषा एस पिल्लई
उप महालेखाकार

सुश्री हेमलता रविशंकर
उप महालेखाकार

सुश्री अखिला बी एस
उप महालेखाकार

संपादक मंडल

सुश्री के आर रोहिणी
सहायक निदेशक (राजभाषा), संपादक

सुश्री एस संध्या
सहायक निदेशक (राजभाषा)

सुश्री गेलीकृष्णा सी जी
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संपादन सहयोग

सुश्री निधि लक्ष्मी
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

श्री अंकित पाल
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

सुश्री प्रज्ञा मौर्या
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

रचनाकारों के विचारों से संपादक मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
रचनाओं की मौलिकता के लिए रचनाकार स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	लेखक का नाम	पृष्ठ सं.
1.	हिंदी दिवस के अवसर पर भारत के आदरणीय गृह मंत्री का संदेश		7
2.	संरक्षक की कलम से ...		11
3.	मुख्य संपादक की कलम से ...		12
4.	केरल की यादें	हिंमांशु राज, लेखाकार	13
5.	चलचित्र और इतिहास	रेणुका जोशी, कनिष्ठ अनुवादक	14
6.	राजभाषा हिंदी, अन्य भारतीय भाषाओं की कड़ी	सिंधु सी सी, सहायक लेखा अधिकारी	17
7.	अत्तप्पूक्कलम - ओणम उत्सव की फूलों से संजी रंगोली	आन्ड्रिया लुइस, सहायक पर्यवेक्षक	19
8.	दृष्टियों का संगम	हिमांशु राज, लेखाकार	21
9.	सोशल मीडिया की नकारात्मकता और उसका प्रभाव	जिनु अब्राहम, सहायक पर्यवेक्षक	23
10.	शिक्षा में निवेश, समृद्ध भविष्य का पासपोर्ट है	राहुल कुमार राय, सहायक लेखा अधिकारी	25
11.	वो चरण ढूंढता हूँ	पारस कुमार शिवा, सहायक लेखा अधिकारी	27
12.	हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में परस्पर समभाव	आरती राघव, लेखाकार	29
13.	कोरी स्लेट	पारस कुमार शिवा, सहायक लेखा अधिकारी	31
14.	रेत की इबारत	वीरेन्द्र कुमार, सहायक लेखा अधिकारी	32
15.	सुबह की पहली चाय	वीरेन्द्र कुमार, सहायक लेखा अधिकारी	34
16.	राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह		37
17.	चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था	अंकित पाल, कनिष्ठ अनुवादक	41
18.	केरल के राज्य प्रतीक	संकलन-हिंदी कक्ष	47
19.	सेवानिवृत्ति पर बधाई		51

हिंदी दिवस 2025

के अवसर पर

माननीय गृह मंत्री जी

का संदेश

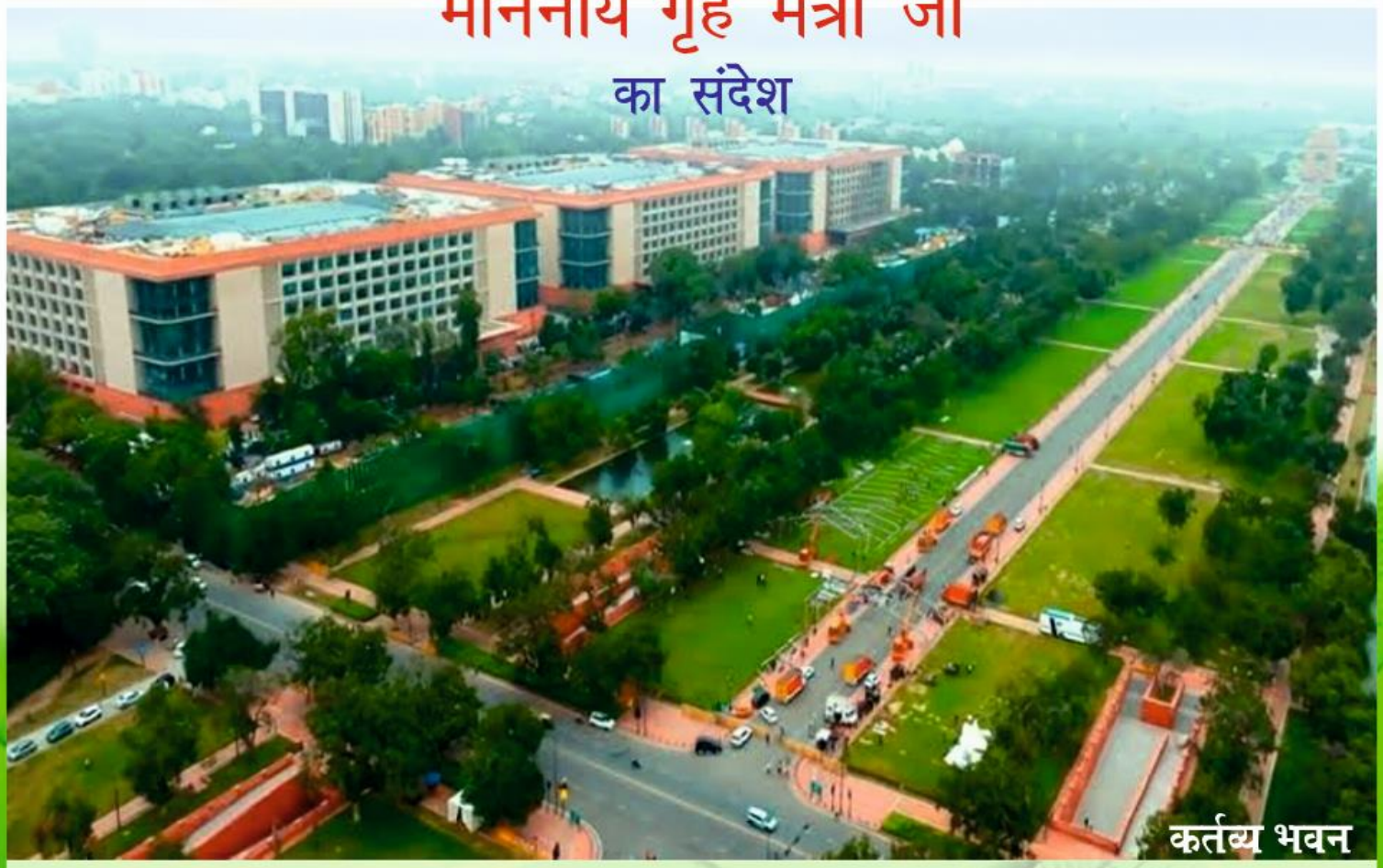

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

श्रुति

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्रिय देशवासियो !

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत मूलतः भाषा–प्रधान देश है। हमारी भाषाएँ सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान–विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम रही हैं। हिमालय की ऊँचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गाँव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहने और एकजुट होकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है।

मिलकर चलो, मिलकर सोचो और मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई और सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है।

भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बीहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, आदिम समाज में ढोल–मांदर की थाप पर करमा की गूँज, माताओं की लोरियाँ, किसानों का बारहमासा, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की 'बिदेशिया', इन सबने हमारी संस्कृति को जीवन्त और लोककल्याणकारी बनाया है।

मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय भाषाएँ एक दूसरे की सहचर बनकर, एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही हैं। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में भी पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी। सुब्रमण्यम भारती की राष्ट्रप्रेम से ओत–प्रोत रचनाएँ हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्रप्रेम को प्रबल बनाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास को हर एक देशवासी पूजता है, संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में पाए जाते रहे हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपरा में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक वैष्णव जानता है। और, भूपेन हजारिका को हरियाणा का युवा भी गुनगुनाता है।

गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएँ प्रतिरोध की आवाज बनीं और आज़ादी के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने में भूमिका निभाई। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, गाँव–देहात की भाषा में लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाटककारों ने लोकभाषाओं, लोककथाओं, लोकगीतों और लोकनाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वन्दे मातरम् और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक बने।

जब देश आजाद हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए

इस पर विस्तार से विचार–विमर्श किया और 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया कि हिंदी का प्रचार–प्रसार हो और वह भारत की सामासिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने।

पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघ का मंच हो, जी–20 का सम्मेलन या SCO में संबोधन, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है।

मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए, न कि किसी विदेशी भाषा को। तभी हम गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो पाएँगे।

राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जनभाषा और जनचेतना की भाषा बनाने का अद्‌भुत कार्य किया है। 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष 1976 में अपनी स्थापना से लेकर 2014 तक माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रतिवेदन के 9 खंड प्रस्तुत किए थे, वहीं 2019 से अब तक 3 खंड प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 13–14 नवम्बर 2021 को वाराणसी से प्रारंभ हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों की परम्परा भी लगातार आगे बढ़ रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी राजभाषा विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित 'कंठस्थ 2.0' में आज 5 करोड़ से अधिक वाक्यों का ग्लोबल डाटाबेस उपलब्ध है। 'लीला राजभाषा' और 'लीला प्रवाह' जैसे शिक्षण पैकेजों के माध्यम से 14 भारतीय भाषाओं में हिंदी सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022 में शुरू हुआ 'हिंदी शब्द सिंधु' अब तक लगभग 7 लाख शब्दों से समृद्ध हो चुका है।

2024 में हिंदी दिवस पर 'भारतीय भाषा अनुभाग' की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बनें। डिजिटल इंडिया, ई–गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं।

मित्रों, भाषा सावन की उस बूँद की तरह है, जो मन के दुःख और अवसाद को धोकर नई ऊर्जा और जीवन शक्ति देती है। बच्चों की कल्पना से गढ़ी गई अनोखी कहानियों से लेकर दादी–नानी की लोरियों और किस्सों तक, भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है।

मिथिला के कवि विद्यापति जी ने ठीक ही कहा है:
"देसिल बयना सब जन मिट्ठा।"
अर्थात् अपनी भाषा सबसे मधुर होती है।

आइए, इस हिंदी दिवस पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उन्हें साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें।

आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

वंदे मातरम्।

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2025

(अमित शाह)

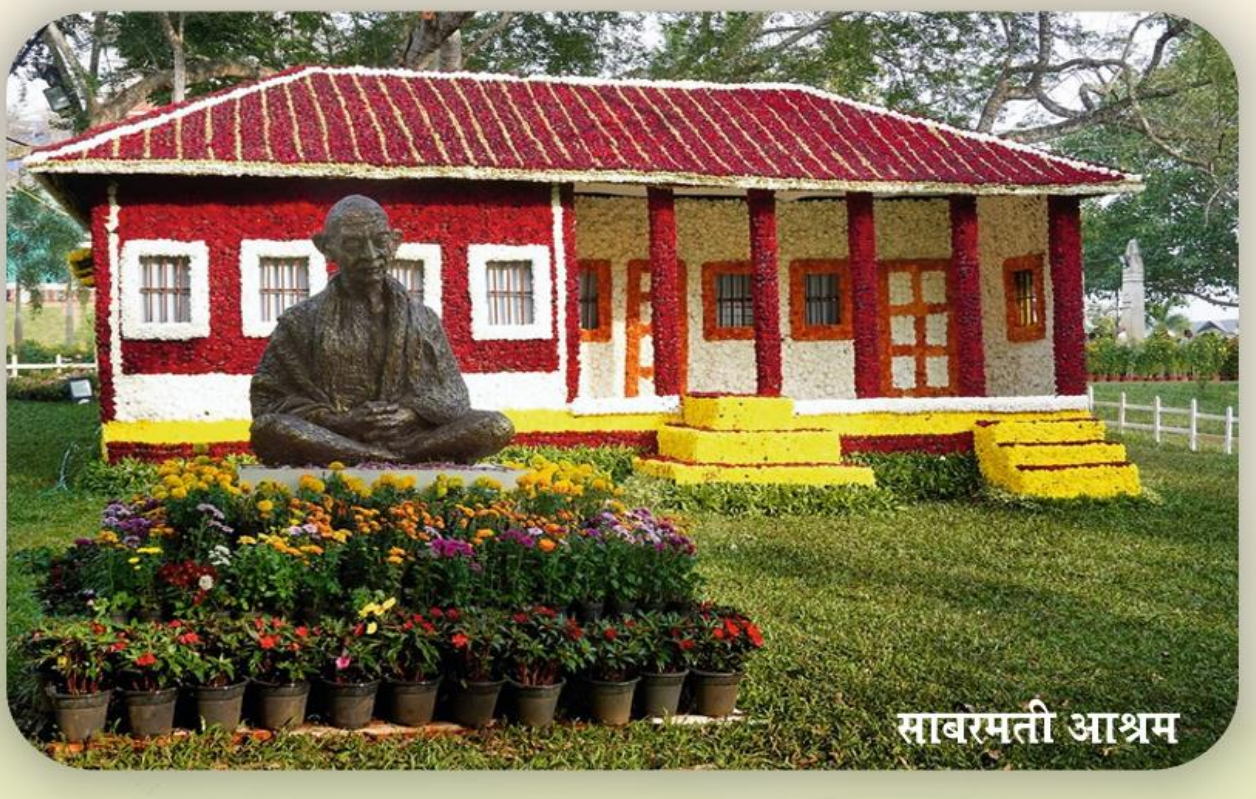
साबरमती आश्रम

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सुश्री अतूर्वा सिन्हा आईएएएस
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल

संरक्षक की कलम से.....

कविताओं, लेखों, कहानियों आदि विभिन्न साहित्यिक विधाओं से संबंधित रचनाओं से समृद्ध कार्यालयीन हिंदी पत्रिका 'श्रुति' का यह 37वां अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए एक विशिष्ट आत्मिक संतोष का अनुभव हो रहा है। कार्यालय के पदधारियों द्वारा उनकी सुंदर रचनाओं के माध्यम से इस सृजनात्मक मंच का सराहनीय सदुपयोग किया गया है। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में अवस्थित इस कार्यालय की पत्रिका में भिन्न-भिन्न भाषाई क्षेत्रों से आने वाले पदधारियों की रचनाओं का एक साथ प्रकाशन हिंदी भाषा और कार्यालय की समावेशी प्रवृत्ति का परिचायक है। इन रचनाकारों का हिंदी भाषा के प्रति अनुराग व उत्साह नई उम्मीदें व स्फूर्ति प्रदान करता है। पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं की संख्या, इन रचनाओं के विषयों की विविधता, तथा पत्रिका की गुणवत्ता में निरंतर सुधार उल्लेखनीय है।

पत्रिका को पढ़ते हुए संपादक मंडल का श्रमसाध्य व प्रशंसनीय कार्य आद्योपांत देखा जा सकता है जिस हेतु वह बधाई का पात्र है। पाठकों से अपील है कि वे अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों से अवगत कराकर पत्रिका को सुपाठ्य व सुरुचिपूर्ण बनाने के साथ ही इसे राजभाषा हिंदी के संवर्धन और प्रचार-प्रसार का सशक्त माध्यम बनाने में हमारी सहायता करें।

प्रधान महालेखाकार

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

श्री बाषा मोहम्मद बी आईएएएस
उप महालेखाकार (प्रशासन)

मुख्य संपादक की कलम से.....

कार्यालय की गृह पत्रिका 'श्रुति' का यह 37वां अंक पाठकों के समक्ष सादर प्रस्तुत है । पत्रिका में प्रकाशित भिन्न-भिन्न भाषाई क्षेत्रों से संबंधित पदधारियों की विभिन्न विधाओं और विविध विषयों से जुड़ी सुरुचिपूर्ण रचनाओं को पढ़ने के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि गृह पत्रिका का प्रकाशन महज औपचारिकता नहीं रही है । पदधारियों द्वारा कार्यालयीन कार्यों के साथ-साथ हिंदी भाषा के प्रति ऐसे प्रेम और ऐसी सृजनशील प्रतिभा का परिचय देना पत्रिका के मुख्य संपादक के रूप में संतुष्टि प्रदान करता है । पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि प्रशंसनीय है ।

संपादक मंडल ने अपने श्रम व लगन से पत्रिका को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाते हुए उसके आस्वादन के आनंद में वृद्धि कर प्रशंसनीय कार्य किया है ।

पाठकों के सुझाव व प्रतिक्रियाएं हमें पत्रिका को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं, अतः अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं और हमारा उत्साहवर्धन करते हुए पत्रिका व राजभाषा हिंदी की निरंतर प्रगति व विकास में सहायक बनें ।

उप महालेखाकार (प्रशासन)

केरल की यादें

हिमांशु राज
लेखाकार

जब पहली बार उतरा था यहाँ,
हवा ने दी थी नमकीन-सी बाहों की थाह ।
नमी से भरी वो पहली साँस,
जैसे कोई अनजाना आलिंगन खास ।

आज वही पल बन गया है सुनहरी याद,
समय की किताब में जुड़ी हुई पन्नों की बात ।
क्योंकि यहाँ का मौसम, यहाँ की फुहार,
मन को कर देते हैं निर्मल और उदार ।

एक ओर समंदर की लहरों का गीत,
दूसरी ओर पर्वतों का गंभीर संगीत ।
कहीं झरनों का झरना झरता है,
कहीं घाटियों का सौंदर्य मन भरता है ।

कोझिकोड की पहाड़ियाँ बुलाती हैं,
मून्नार की वादियाँ सपनों में ले जाती हैं ।
वयनाड की हरियाली, त्रिवेंद्रम का सागर तट,
पोनमुड़ी की सुनहरी चोटियाँ, वाझवनथोल का झरना
सबके मन में जगाते रट ।

केरल, तेरा हर रूप है अनुपम, अद्‌भुत और दिव्य,
तेरे आँचल में है धरती का स्वर्ग, प्रकृति का उत्सव ।
उत्तर से आया मैं अनजाने पथिक की तरह,
और तुझमें देखा मैंने भारत का एक सुंदर रूप,
सौंदर्य, शांति और अनुभूतियों का अमूल्य धन ।

चलचित्र और इतिहास

रेणुका जोशी
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

सम्पूर्ण विश्व में लोगों को फिल्में देखना बहुत प्रिय है । फिल्में, जिन्हें चलचित्र भी कहा जाता है, कई तरह की होती है जैसे फिक्शनल (काल्पनिक कहानियों पर आधारित), बायोपिक (किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवन गाथा), थ्रिलर, कॉमेडी, हिस्टोरिक (इतिहास पर आधारित) एवं अन्य ।

इन सब में से आज बात करते हैं इतिहास पर आधारित फिल्मों की । भारत ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है क्योंकि इसका इतिहास बृहद है । भारत का वास्तविक गौरव उसके इतिहास में छुपा हुआ है । और जब भी भारतीय इतिहास के किसी विषय अथवा घटना पर फिल्म बनाई जाती है तो यही अपेक्षा की जाती है कि उसमें इतिहास का उचित वर्णन किया जाएगा, परंतु होता अपेक्षा के विपरीत ही है । विशेष प्रकार से बॉलीवुड की ऐसी फिल्में जो इतिहास पर आधारित हैं, उनमें इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है । हद तो तब हो जाती है जब वे घटनाएं जिनका भारतीय इतिहास में वर्णन तक नहीं है, उन्हें भी फिल्म में दिखाया जाता है ।

अब ज़रा सोचें कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है ? भारत का प्रत्येक व्यक्ति तो इतिहास का विद्वान हो नहीं सकता है और वर्तमान पीढ़ी विशेषकर इतिहास को इन फिल्मों के द्वारा ही जान पाती है और वे उतना ही जानते

हैं जितना इन फिल्मों में दिखाया जाता है । वे उन फिल्मों में दिखाई जाने वाली घटनाओं, किरदारों और डायलॉग्स को ही इतिहास मान लेते हैं । कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि किसी ऐतिहासिक फिल्म के पर्दे पर आने से पहले जनता द्वारा उसका विरोध और प्रदर्शन शुरू हो जाता है । ऐसी फिल्में न केवल भारतीय जनमानस पर बुरा प्रभाव डालती है, अपितु वैश्विक स्तर पर भी भारत की छवि खराब करती हैं । भारत का इतिहास वीरगाथाओं से समृद्ध है, यदि वास्तविक इतिहास को लेकर फिल्म बनाई जाए तो ही इतिहास को सहेजा जा सकता है ।

चलिए, कुछ उदाहरणों के साथ बेहतर रूप से समझते हैं –

हम सभी को प्रसिद्ध फिल्म 'मुगल-ए-आज़म' तो याद ही होगी, जिसमें मुगल बादशाह अकबर के काल में उसके बेटे जहांगीर (सलीम) और उसके दरबार में नृत्य करने वाली अनारकली के प्रेम प्रसंग की कहानी दर्शाई गई है । पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला की यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके गीत आज भी प्रत्येक व्यक्ति की ज़ुबान पर हैं । परंतु यह जानना आश्चर्यजनक होगा कि यह फिल्म किसी भी सत्यता पर आधारित नहीं है । 15वीं सदी की किसी भी पुस्तक अथवा अभिलेख में अनारकली नाम की किसी भी महिला का वर्णन नहीं मिलता है । यहां तक कि स्वयं मुगलों के किसी भी ऐतिहासिक अभिलेख तथा स्वयं जहांगीर की आत्मकथा 'तुजुक ए जहांगीरी' और अकबर की आत्मकथा 'अकबरनामा' में भी अनारकली, सलीम और अनारकली के प्रेम प्रसंग और अकबर द्वारा उसके दीवार में चुनवाने का कहीं भी उल्लेख नहीं है । अनारकली का किरदार सर्वप्रथम 1608 में विलियम फिंच द्वारा गढ़ा गया था, तत्पश्चात् यह नाटकों और फिल्मों द्वारा जनमानस में लोकप्रिय हुआ ।

दूसरे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं 2008 में आई फिल्म 'जोधा अकबर' के बारे में, जिसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने अकबर और जोधाबाई की भूमिका का निर्वहन किया है । इसमें भी इतिहास नहीं अपितु काल्पनिक कहानियां गढ़ी गई हैं, जिसका संपूर्ण उद्देश्य अकबर को एक प्रेमी और दयालु राजा के रूप में प्रस्तुत करना था । फ़िल्म में राजकुमारी 'जोधा' की कहानी बताई गई है, जबकि वास्तविकता में अकबर ने आमेर की जिस राजकुमारी से विवाह किया था, वह हरखाबाई थीं । 'जोधाबाई' नाम का उल्लेख किसी भी समकालीन मुग़ल इतिहास में नहीं मिलता है, और यह 19वीं सदी के ब्रिटिश लेखकों, जैसे कर्नल जेम्स टॉड, द्वारा गढ़ा गया भ्रम है । जोधाबाई वास्तव में जहांगीर की पत्नी का नाम था, जो कि जोधपुर की थीं । फ़िल्म में अकबर और जोधा के बीच एक रूमानी प्रेम कहानी को केंद्र में रखा गया है, जबकि वास्तविकता में उनके रिश्ते का कोई विस्तृत प्रेम-प्रसंग मौजूद नहीं है । कई इतिहासकार मानते हैं कि यह फ़िल्म एक ऐतिहासिक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसका मकसद राजपूतों की छवि को झुकाना और मुगलों को प्रेमियों की तरह दिखाना है । फ़िल्म में इस्तेमाल की गई कई वस्तुएँ, जैसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन और आलू, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में मौजूद नहीं थे । आलू मूल रूप से अमेरिका में पाए जाते हैं और इसका आगमन भारत में बाद में हुआ था । 'जोधा अकबर' फ़िल्म एक प्रेम-कहानी है और इसे ऐतिहासिक तथ्यों की बजाय कलात्मक दृष्टि से बनाया गया है । फ़िल्म ने 'जोधाबाई' नाम को लोकप्रिय बनाया, लेकिन यह वास्तविक इतिहास से अलग है ।

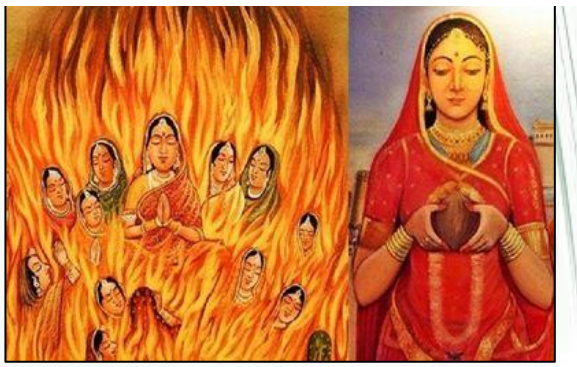

अब बात करते हैं 2018 में संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित 'पद्मावत' फिल्म की, जिसमें मुख्य किरदार रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर थे । यह कहानी चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की वीरता की गाथा दर्शाती है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से यह इतनी गलत है कि इसकी रिलीज के समय राजस्थान में विरोध शुरू हो गया था । 'पद्मावत' फिल्म ने इतिहास को कई तरह से तोड़ा, खासकर रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच काल्पनिक प्रेम प्रसंग दिखाकर, घूमर नृत्य के चित्रण में ऐतिहासिक अशुद्धि जोड़कर, और सल्तनत के झंडे के रंग को बदलकर । इतिहासकार मानते हैं कि रानी पद्मावती के अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं और फिल्म में कई तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है । फिल्म की सबसे बड़ी विसंगति यह है कि इसमें दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के बीच एक प्रेम कहानी दिखाई गई है, जबकि यह पूरी तरह से काल्पनिक है । इतिहासकार मानते हैं कि खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण चित्तौड़ को जीतने के उद्देश्य से हुआ था, न कि किसी महिला के लिए । फिल्म में रानी पद्मावती को घूमर नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जबकि वास्तविक जीवन में घूमर नृत्य राजपूती परंपरा में सम्मान का प्रतीक है और महिलाओं द्वारा सार्वजनिक रूप से नृत्य करना उचित नहीं माना जाता था । फिल्म में पद्मावती को एक दर्पण में देखकर अपनी सुंदरता देखने के तरीके को दिखाया गया है । हालांकि, दर्पण का आविष्कार 19वीं सदी में हुआ था तथा मलिक मुहम्मद जायसी की पद्मावत के अलावा किसी भी ऐतिहासिक पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रानी पद्मावती को देखने का वर्णन नहीं मिलता एवं मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई पद्मावत पूर्णतः काल्पनिक कहानियों पर आधारित है ।

ऐसे ही 'बाजीराव मस्तानी' फिल्म है, जिसमें पेशवा की भूमिका को राजा की जगह एक मुग्ध प्रेमी तक ही सीमित कर दिया गया है । पेशवा की रानी काशीबाई को सार्वजनिक नृत्य करते हुए दिखाया है, जबकि तत्कालीन समाज में राजपरिवार की महिलाएं इस तरह के नृत्य नहीं करती थीं । एक दृश्य में दीपिका पादुकोण को मेंडलिन बजाते हुए दिखाया गया है, जबकि तत्कालीन समय में मेंडलिन भारत में उपलब्ध ही नहीं था, साथ ही मराठा साम्राज्य तथा पेशवाओं की राजनीतिक भूमिका को इस फिल्म में कमतर महत्व का प्रदर्शित किया गया है ।

ऐसे कितनी ही फिल्में, टीवी सीरियल हैं जो इतिहास को आधार बनाकर और अपनी सिनेमाई स्वतत्रंता का लाभ उठाकर, उसमें काल्पनिक किस्से कहानियां जोड़कर उसका पूरा रूप और गुण बदलकर उसे विकृत कर देते हैं और आमजन इसी को भारत का वास्तविक इतिहास समझता रहता है ।

अतः आवश्यकता है इस तरह के झूठों के जाल में न फंसकर व्यक्ति पुस्तकों के माध्यम से इतिहास को जाने । भारत का इतिहास इतना व्यापक, इतना समृद्ध है कि उसे 3 घंटे की फिल्म के अंदर नहीं समेटा जा सकता । अतः यदि ऐसी फिल्मों का शौक रखते हैं तो देखने जाने से पहले उसकी विषय-वस्तु के बारे में रिसर्च कर लें और वास्तविक इतिहास पढ़ लें ताकि सत्य और असत्य में भेद कर पाएं । भारत का इतिहास ही उसकी पहचान है और यह पहचान बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी भारतीयों की है ।

राजभाषा हिंदी, अन्य भारतीय भाषाओं की कड़ी

सिंधु सी सी
सहायक लेखा अधिकारी

भारत विविधताओं का देश है । यहाँ की संस्कृति, परंपराएँ, भोजन, वेशभूषा और भाषाएँ इसे अद्वितीय बनाती हैं । भारत में सैकड़ों बोलियाँ और अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, जो इसकी एकता को और भी समृद्ध करती हैं । ऐसे बहुभाषी देश में एक ऐसी भाषा का होना आवश्यक है, जो पूरे राष्ट्र को जोड़ सके और संवाद का सेतु बन सके । हिंदी इसी भूमिका को निभाती है । संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, और यह अन्य भारतीय भाषाओं के बीच कड़ी का कार्य करती है ।

हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जीवंत प्रतीक है । यह उत्तरी भारत की प्रमुख भाषा है, परंतु इसकी समझ और प्रयोग देश के लगभग हर हिस्से में देखने को मिलता है । हिंदी की लिपि -देवनागरी- सरल और स्पष्ट है, जिसके कारण इसे सीखना और अपनाना आसान है । यही वजह है कि भारत के अलग-अलग क्षेत्रों से आए लोग जब आपस में संवाद करना चाहते हैं, तो हिंदी को एक साझा माध्यम के रूप में चुनते हैं ।

भारत के संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया । यह दिन हर वर्ष "हिंदी दिवस" के रूप में मनाया जाता है । इस निर्णय का उद्देश्य था कि देश की विविध भाषाओं के बीच हिंदी एक सूत्रधार बने । अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग न केवल सरकारी कामकाज में सहूलियत देता है, बल्कि यह जनता से सीधे जुड़ाव भी सुनिश्चित करता है ।

हिंदी का महत्व केवल सरकारी दायरे तक सीमित नहीं है । यह साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षा, सिनेमा और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के जरिए पूरे देश में एकता का संदेश देती है । हिंदी फिल्मों और धारावाहिकों का प्रभाव इतना व्यापक है कि वे दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और यहाँ तक कि विदेशों में भी समझे और पसंद किए जाते हैं । हिंदी गानों की लोकप्रियता भी भारतीय समाज के हर हिस्से में महसूस की जा सकती है । इस तरह हिंदी एक सांस्कृतिक सेतु की तरह कार्य करती है ।

भारत की प्रत्येक भाषा का अपना अलग महत्व है । तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू और अन्य भाषाएँ भारत की सांस्कृतिक संपदा हैं । हिंदी का कार्य इन भाषाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें जोड़ना और उनका पूरक बनना है । हिंदी और अन्य भाषाओं का आपसी आदान-प्रदान हमारी समृद्धि को और गहरा करता है । उदाहरण के लिए, हिंदी ने संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी से शब्द लिए हैं, वहीं हिंदी के अनेक शब्द क्षेत्रीय भाषाओं का हिस्सा बन चुके हैं । यह मिश्रण भाषा की जीवंतता और विस्तार को दर्शाता है।

वैश्विक स्तर पर भी हिंदी ने अपनी पहचान बनाई है । संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ते महत्व के साथ देखा जा रहा है । विश्व के अनेक देशों जैसे मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, नेपाल, अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा में बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोलते और समझते हैं । भारतीय प्रवासी हिंदी के माध्यम से अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं । यह न केवल भाषाई संबंध बनाए रखता है, बल्कि सांस्कृतिक गर्व की अनुभूति भी कराता है ।

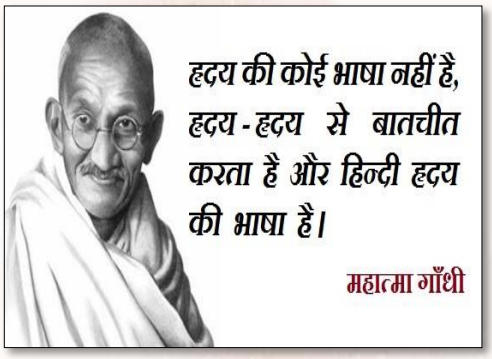

हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता और लचीलेपन में है । यह हर भाषा और संस्कृति के शब्दों को सहज रूप से आत्मसात कर लेती है । यही कारण है कि इसे "जनभाषा" भी कहा जाता है । भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में राजभाषा के रूप में हिंदी का चयन इस बात का प्रमाण है कि यह भाषा विभिन्न भारतीय भाषाओं को एक धागे में पिरोने की क्षमता रखती है ।

आज आवश्यकता है कि हम हिंदी के प्रति सम्मान और गर्व की भावना रखें । साथ ही यह भी समझें कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी । भारत की असली ताकत उसकी भाषाई विविधता में है, और हिंदी उस विविधता को एकजुट करने का कार्य करती है ।

अंत में यही कहा जा सकता है कि हिंदी राजभाषा के रूप में हमारे संविधान और संस्कृति दोनों की आत्मा को अभिव्यक्त करती है । यह न केवल संचार का माध्यम है, बल्कि भारतीय एकता, भाईचारे और समरसता का प्रतीक भी है । हिंदी के बिना भारतीय भाषाओं का विशाल परिवार अधूरा है । हिंदी सचमुच भारत की भाषाओं की वह कड़ी है, जो सबको एक सूत्र में बाँधती है।

कुछ महान व्यक्तियों के शब्दों में-

* **महात्मा गांधी:** *"हिंदी जनमानस की भाषा है, यह देश की आत्मा है ।"*
* **डॉ. राजेंद्र प्रसाद:** *"जब तक हम अपनी भाषा के प्रति गर्व और निष्ठा नहीं दिखाएँगे, तब तक सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं होंगे ।"*
* **आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी:** *"हिंदी केवल भाषा नहीं, बल्कि संस्कृति की वाहक है ।"*
* **अटल बिहारी वाजपेयी:** *"हिंदी किसी पर थोपने की चीज़ नहीं, यह तो अपनाने और अपनाए जाने की भाषा है ।"*

अत्तपूक्कलम - "ओणम उत्सव की फूलों से सजी रंगीन परंपरा"

आंड्रिया लुइज़
सहायक पर्यवेक्षक

केरल का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्योहार ओणम अपनी रंग-बिरंगी परंपराओं के कारण विशेष पहचान रखता है । इस उत्सव के दौरान हर घर, विद्यालय और सार्वजनिक स्थल पर उत्साह और उल्लास का वातावरण दिखाई देता है । ओणम का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अत्तपूक्कलम, जो फूलों से बनाई जाने वाली रंगोली है । यह परंपरा न केवल सौंदर्य और कला का प्रतीक है, बल्कि धार्मिक आस्था और सामाजिक जुड़ाव का भी द्योतक है ।

अत्तपूक्कलम की शुरुआत 'अत्तम' (हस्त) नक्षत्र से होती है और यह दस दिनों तक प्रतिदिन सजाई जाती है । पहले दिन छोटे आकार की साधारण डिज़ाइन बनाई जाती है, लेकिन जैसे-जैसे ओणम का समय आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे इसके पैटर्न बड़े और जटिल होते जाते हैं । दसवें दिन यानी 'तिरुओणम' (श्रवण नक्षत्र) को इसका सबसे भव्य रूप देखा जाता है । इस रंगोली का उद्देश्य भगवान महाबली का स्वागत करना है, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि वे ओणम के दौरान अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं ।

फूलों का उपयोग अत्तपूक्कलम की आत्मा है । इसमें गेंदा, शंखुपुष्पी, तुंबा और अन्य रंग-बिरंगे फूलों का प्रयोग किया जाता है। फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर ज्यामितीय आकारों और पारंपरिक आकृतियों में सजाया जाता है । यह कार्य परिवार और समुदाय के लोग मिलकर करते हैं, जिससे सभी में सहयोग और एकता की भावना जागृत होती है । छोटे बच्चे भी इस प्रक्रिया में आनंदपूर्वक शामिल होते हैं, जिससे यह परंपरा केवल सजावट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शिक्षा और संस्कार का भी माध्यम बन जाती है ।

केरल का पारंपरिक फूल तुंबा, जो ओणम उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पारंपरिक रूप से 'अत्तपूक्कलम' में इस्तेमाल किया जाता है।

अत्तपूक्कलम का कलात्मक महत्व भी कम नहीं है । हर दिन बनाए जाने वाले नए डिज़ाइन रचनात्मकता का परिचय देते हैं । प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थी और युवा अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं । बड़े पैमाने पर तैयार किए गए पूक्कलम दर्शकों को आकर्षित करते हैं और त्योहार की भव्यता को और बढ़ा देते हैं ।

आज के समय में भी अत्तपूक्कलम की परंपरा को उतनी ही श्रद्धा से निभाया जाता है । भले ही कभी-कभी फूलों की जगह रंगीन चूर्ण या कृत्रिम सामग्री का उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन असली आकर्षण और पवित्रता फूलों से बनी रंगोली में ही महसूस होती है । स्कूल, दफ्तर और संस्थान भी इस परंपरा को अपनाते हैं, जिससे यह केवल घरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज में फैल जाती है ।

अत्तपूक्कलम का सबसे बड़ा संदेश यह है कि त्योहार केवल खुशी मनाने का अवसर नहीं होते, बल्कि यह रिश्तों को मजबूत करने, एकता को बढ़ाने और परंपराओं को आगे बढ़ाने का माध्यम भी होते हैं । ओणम का यह अनोखा हिस्सा केरल की सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखता है । रंग-बिरंगे फूलों से सजाई गई यह रंगोली जब घरों और आँगनों को आलोकित करती है, तो यह केवल सौंदर्य नहीं बिखेरती, बल्कि एकता, श्रद्धा और आनंद का संदेश भी देती है ।

दृष्टियों का संगम

हिमांशु राज
लेखाकार

सिम्मी बालकनी पर खड़ी थी । हवा ने उसके चेहरे को छुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य वीणा की तान उसके चारों ओर बिखर गई हो । सुबह का सूरज हल्की किरणों से पेड़ों पर खेल रहा था । इमली के पेड़ की पत्तियाँ सरसराईं - धीमी-धीमी, जैसे कोई रहस्य साझा कर रही हों ।

सिम्मी ने आँखें मूँद लीं और मुस्करा दी -

"हर सुबह मुझे एक नया गीत सुनाई देता है । शायद यह दुनिया मुझसे अपनी कहानियाँ बाँटती है।"

नीचे उसी इमारत की निचली मंज़िल पर, राज खिड़की से बाहर झाँक रहा था । उसकी दुनिया अलग थी । उसके कानों में पत्तों की आवाज़ें किसी झरने की बूँदों जैसी नहीं, बल्कि मशीनों के तालमेल जैसी गूँज रही थीं । शहर का शोर उसमें घुला हुआ था ।

राज ने बुदबुदाया -

"क्या ये आवाज़ें मुझसे बात करती हैं... या मैं इन्हें सिर्फ़ अलग तरह से सुनता हूँ?"

उसी क्षण दोनों की दृष्टि आसमान में मिली । हवा में एक अजीब डोरी चमक रही थी - सिम्मी को वह सुनहरी लहर जैसी लगी, और राज को वही डोरी नीली आग की तरह चमकती दिखी ।

अनायास दोनों ने उसे छू लिया । और उसी पल उनकी दुनियाएँ हिलने लगीं ।

सिम्मी को अचानक मशीनों की गूँज भी किसी संगीत जैसी सुनाई देने लगी ।

राज को पहली बार पत्तियों की फुसफुसाहट और हवा की लय एक गहरे रहस्य की तरह लगने लगी ।

वे दोनों हतप्रभ खड़े थे ।

"ये क्या हो रहा है?" सिम्मी ने फुसफुसाते हुए पूछा ।

राज की आँखें चौड़ी हो गईं - "क्या तुम... मेरी दुनिया देख पा रही हो?"

तभी उनके सामने एक अदृश्य द्वार उभरा । उस पर शब्द लिखे थे -

"सत्य तक पहुँचने का मार्ग केवल साझा दृष्टि से खुलता है।"

दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामा और भीतर प्रवेश किया।

भीतर अनेक लोक थे ।

पहला लोक पूरी तरह प्रकाश से बना था । हर वस्तु चमकती थी, मगर हर व्यक्ति को केवल वही रंग दिखाई देता था, जो उसके मन में गहराई से भरा था । सिम्मी को सब सुनहरा दिखा । राज को सब नीला । तभी उन्हें समझ आया -

"हम वही देखते हैं, जिसे देखने के लिए मन तैयार है ।"

दूसरे लोक में समय का प्रवाह अलग-अलग था । सिम्मी के लिए वही क्षण सुबह थी, और राज के लिए वही रात । यहाँ उन्होंने जाना -

"हर किसी का समय उसकी अपनी दृष्टि का हिस्सा है।"

तीसरे लोक में आवाज़ें आकार लेने लगीं । सिम्मी की हँसी फूल बन गई, उसके आँसू मोती । राज की फुसफुसाहट पत्तों की हल्की सरसराहट बन गई, और उसका मौन एक भारी पत्थर। दोनों ने महसूस किया - "हर ध्वनि केवल आवाज़ नहीं, बल्कि उसका रूप भी है । मौन भी बोलता है।"

जैसे-जैसे वे इन लोकों से गुज़रे, उन्हें समझ आया कि उनकी दुनियाएँ अधूरी हैं, जब तक वे एक-दूसरे की दृष्टि को स्वीकार न करें ।

अंतिम लोक में हवा ने सवाल किया - "अब बताओ, सत्य क्या है?"

सिम्मी और राज ने एक-दूसरे की आँखों में देखा । मुस्कराहट दोनों के होंठों पर थी ।

उन्होंने साथ कहा -

"सत्य केवल वस्तुओं में नहीं है । यह हमारी दृष्टियों के संगम में है । हर इंसान अपनी इंद्रियों और अनुभवों से एक अलग दुनिया गढ़ता है । पर जब ये दुनियाएँ मिलती हैं, तभी सम्पूर्ण सत्य दिखाई देता है।"

अचानक वे अपने-अपने कमरों में लौट आए ।

लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था ।

सिम्मी मशीनों की गूँज में भी संगीत सुन सकती थी ।

राज पत्तियों की फुसफुसाहट में भी गहरी बातें समझने लगा था ।

उनकी दुनियाएँ अब भी अलग थीं ।

मगर वे जान चुके थे -

"सत्य अनेक दृष्टियों का संगम है ।"

सोशल मीडिया की नकारात्मकता और उसका प्रभाव

जिनु अब्राहम
सहायक पर्यवेक्षक

"तकनीक हमें जोड़ने आई थी, पर कभी-कभी वही हमें तोड़ने भी लगती है।"

आज की दुनिया में सोशल मीडिया जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है । लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सोशल मीडिया की खिड़की खोलते हैं और रात को सोने से पहले भी उसी से दिन का समापन करते हैं । निस्संदेह इसने सूचनाओं को साझा करना आसान बना दिया है और दूर बैठे लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी उतने ही गहरे हैं । जब इसका उपयोग संतुलित ढंग से न होकर अति हो जाता है, तो यह हमारे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन पर विपरीत असर डालता है।

सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग से इंसान वास्तविक जीवन से कटने लगता है । पहले लोग परिवार और मित्रों के साथ बैठकर बातचीत करते थे, लेकिन अब समय आभासी दुनिया में लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स के इर्द-गिर्द ही बीतने लगा है । इससे आपसी रिश्तों में दूरी बढ़ती है और भावनात्मक जुड़ाव कम हो जाता है ।

मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है । दूसरों की आकर्षक तस्वीरें और जीवनशैली देखकर लोग अपने जीवन को छोटा और अधूरा समझने लगते हैं । तुलना की यह आदत धीरे-धीरे तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन जाती है । खासकर युवाओं और किशोरों पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि वे बाहरी मान्यता और प्रशंसा पर निर्भर हो जाते हैं ।

सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी खबरें और अफवाहें भी समाज को नुकसान पहुँचाती हैं । बिना पुष्टि किए साझा की गई सूचनाएँ गलतफहमी और विवाद खड़े कर देती हैं । साइबर बुलिंग यानी ऑनलाइन

तंग करना एक और खतरनाक समस्या है । बच्चों और युवाओं को अपमानजनक संदेश या टिप्पणियाँ मिलने से वे मानसिक आघात के शिकार हो जाते हैं ।

शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक असर देखा जा सकता है । लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आँखों में जलन, सिरदर्द और नींद की समस्या बढ़ जाती है । देर रात तक मोबाइल का उपयोग शरीर की प्राकृतिक दिनचर्या को बिगाड़ देता है, जिससे थकान और अन्य रोगों का खतरा बढ़ता है ।

शिक्षा और कार्यक्षेत्र पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है । विद्यार्थी और कर्मचारी अक्सर पढ़ाई या काम की बजाय घंटों वीडियो और रील्स में समय गंवा देते हैं । परिणामस्वरूप उनकी एकाग्रता और उत्पादकता प्रभावित होती है ।

दरअसल दोष सोशल मीडिया का नहीं, बल्कि उसके असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग का है । यदि इसका प्रयोग संयम और समझदारी से किया जाए तो यह ज्ञान और संचार का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन जब यह हमारी दिनचर्या और रिश्तों पर हावी होने लगे तो नुकसानदेह साबित होता है ।

अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन का असली आनंद स्क्रीन की चमक में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों, अनुभवों और वास्तविक मुलाकातों में छिपा है । हमें सोशल मीडिया को साधन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, मालिक की तरह नहीं । संयमित उपयोग ही हमें इसके लाभ भी देगा और हानियों से भी बचाएगा ।

शिक्षा में निवेश, समृद्ध भविष्य का पासपोर्ट है

राहुल कुमार राय
सहायक लेखा अधिकारी

"शारीरिक अंगों के बिना कर्म अधूरा है,
शिक्षा के बिना पूरी जिंदगी अधूरी है ।"

जीवन की मौलिक आवश्यकता शरीर के अंगों की है जिससे उनकी दिनचर्या चलती है परंतु उसके विकास के लिए बौद्धिक चेतना और मानसिक आवश्यकता की पूर्ति सिर्फ 'शिक्षा' में निहित है । या यूं कहें कि शिक्षा मानव जीवन की संपूर्णता प्रदर्शित करती है । मनुष्यों के चेतना, विकास, व्यक्तिगत भाषात्मक, विचारात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास का मूलमंत्र शिक्षा है ।

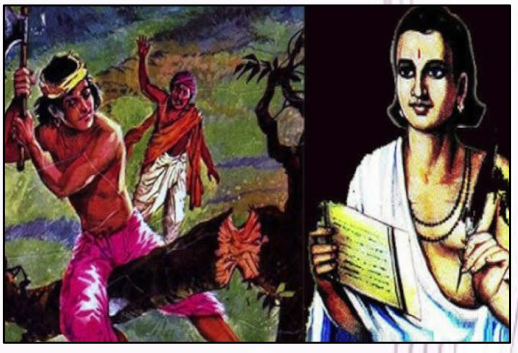

एक बहुत पुराने प्रसंग की चर्चा करें तो प्राचीनकाल के एक महान कवि एवं संस्कृत विद्वान कालिदास भी मजाक के पात्र बने थें, शिक्षा के अभाव में, परंतु उनकी प्रतिष्ठा दृढ़ निश्चय एवं शिक्षा के बलबूते पूरे विश्व में एक महान हस्ती के रूप में विद्यमान है । हजारों साल बीत गए लेकिन उनका उदाहरण आज के समय में भी प्रासंगिक है कि कैसे शिक्षा मनुष्य को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है ।

शिक्षा एकमात्र ऐसी विशेषता है जो मनुष्य को विश्व में विद्यमान करोड़ों प्रकार के जीवों से अलग करती है । यह होमो सेपियंस की प्रगतिशीलता का पैमाना साबित हुई है । साथ ही यह मनुष्य या अन्य किसी भी तरह के जीव के समृद्ध भविष्य के मुख्य पथ का निर्माण करती है ।

आखिकार यह प्रश्न उठता है कि ये समृद्ध भविष्य है क्या ? तो सर्वप्रथम इसे समझने के लिए भविष्य को समझना अत्यंत ही आवश्यक है । भविष्य अर्थात् आने वाला कल है, जिसे हम वर्तमान परिदृश्य में देख नहीं सकते परंतु हमारे वर्तमान कर्म से ये प्रभावित होंगे । दूसरे शब्दों में कहें तो वह समयावस्था जो हमारे जीवन की पुस्तक के प्रत्येक खाली पन्नों को भरने के लिए पर्याप्त स्याही और शब्दों की जरूरत । साथ ही साथ समृद्ध भविष्य अर्थात् एक मजबूत आधारशिला जिस पर संपूर्ण भार आरोपित किया जा सके । मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप संपत्ति, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य एवं सुख आदि की प्राप्ति । ये विभिन्न कारक हमारे भविष्य के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं।

तत्पश्चात् बात यहां अटक जाती है कि शिक्षा में निवेश कैसे करें? इसके लिए भी विभिन्न कारक विद्यमान है जैसे संस्थागत रूप में निवेश, आर्थिक निवेश, समय-ऊर्जा व मेहनत का निवेश और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक निवेश ।

"मानसिक रूप से मजबूत आदमी, पत्थर से भी मजबूत होता है ।"

उपर्युक्त उदाहरणों के अनुरूप यह समझा जा सकता है कि किसी भी प्रकार के निवेश के लिए मानसिकता का निवेश होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है । आपसी सहभागिता और सरोकार का प्रभाव समाज को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है । सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से संसाधनों के उपभोग से विभिन्न स्कूल, कॉलेज एवं सामाजिक शैक्षणिक संस्थानों के लिए बहुमूल्य संसाधनों का निवेश कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है । अपनी ऊर्जा के सदुपयोग, भविष्य की सफलता एवं ज्ञानवर्धन के लिए उपयुक्त समय और मेहनत के निवेश की आवश्यकता है । क्योंकि जिस प्रकार ऐतिहासिक विरासत एवं पुरातन वैश्विक इतिहास की जानकारी तत्कालीन समय में किए गए शैक्षिक, समय और मेहनत से संकलित ग्रंथों और साहित्य से मिलती है, ठीक उसी प्रकार वर्तमान में किए गए निवेश हमारे कल के समृद्ध भविष्य के किताब की रचना में सहायक होंगे । अर्थात् शिक्षा में निवेश, हमारे व्यक्तिगत विकास का आधार, समाज निर्माण में योगदान, आर्थिक उन्नति का साधन, राष्ट्र निर्माण में सहायक, वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक विकास एवं नैतिक तथा भावनात्मक विकास का पासपोर्ट साबित होगा । शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, विवेक, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास प्रदान करती है, जिससे वह विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों जैसे भेद-भाव, अंधविश्वास आदि से आगे बढ़ सकता है । जो समाज के लिए एक उदाहरण होगा साथ ही उसमें नेतृत्व क्षमता विकसित होगी जो नीति निर्माण में सहायक होगी, जिससे वह एक आदर्श समाज के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दे सकता है ।

फलस्वरूप विभिन्न पेशेवर व्यक्तित्व का विकास होगा, उनके जीविकोपार्जन के अनेक रास्ते खुलेंगे जिससे आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी और समावेशी विकास संभव हो पाएगा । तदुपरांत एक कुशल मानव संसाधन तैयार होगा जो वैश्विक पटल पर अग्रणी भूमिका निभाएगा, जो वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करेगा । विश्व में एक विशेष पहचानस्वरूप प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा और विभिन्न समस्या-समाधान तंत्र का विकास होगा, अनुसंधान एवं खोज की ओर अग्रसर होगा और तार्किक व वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देगा । परिणामस्वरूप, सामाजिक न्याय की एक नई अवधारणा मजबूत होगी, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का सृजन होगा जिससे मानव कल्याण संभव होगा ।

ऐसी अवस्था की प्राप्ति के पश्चात् ही समृद्ध भविष्य की प्राप्ति संभव है । इसीलिए शिक्षा को समृद्ध भविष्य का पासपोर्ट कहना सर्वथा उचित जान पड़ता है ।

"परिवार की स्त्रियां अगर शिक्षित हो तो, आने वाली सात पीढ़ियां शिक्षित होती हैं ।"

वो चरण ढूंढता हूं

पारस कुमार शिवा
सहायक लेखा अधिकारी

बस एक प्रार्थना है मेरी,
मुझको मुझसे ही मुक्त करो ।
मुझको अपनी बंसी बना,
अपनी सांसों से तृप्त करो ।

भोर होते ही,
जन्म नया मैं पाता हूं ।
एक दिन और पाकर,
नतमस्तक हो जाता हूं ।

थक कर जब भी मैं,
तरुवर में छाया पाता हूं ।
छाया की शीतलता में,
तुझ ही को वहां पाता हूं ।

फूल नहीं अब तो,
तुझको मस्तक अर्पण है ।
तेरी चरण वंदना में अब,
मेरा सब कुछ अर्पण है ।

तट पर खड़े हुए,
मैं जब मूंदता हूं नयन ।
मंझधार कैसे पार हुआ,
यह सोचता हूं उस क्षण ।

मैं तेरा था, तुझमें ही हूं,
तुझसे ही हूं हर पल ।
तुम सागर से हो विशाल,
मैं हूं लोटे का थोड़ा जल ।

जब भी कोई हाथ बढ़ाता है,
वहां तुझे ही पाता हूं ।
मुझको संभाले हैं अदृश्य हाथ,
यह सोच हतप्रभ रह जाता हूं ।

वो चरण ढूंढता हूं,
जिससे मेरा उद्धार हो ।
कैसै मुझसे अति विशाल,
भवसागर ये पार हो ।

निबंध लेखन प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त निबंध

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में परस्पर समभाव

आरती राघव
लेखाकार

एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने के कारण हमारा परिचय नयी-नयी भाषाओं से होता है । संविधान भी हमें अबाध विचरण की स्वतंत्रता देता है । अनुच्छेद 19 के तहत भारत में हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं तथा इसलिए हम नयी-नयी भाषाएं भी सीख सकते हैं । भारत में लगभग हर व्यक्ति तीन भाषाओं की जानकारी रखता है । यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है । यह हिंदी व अन्य भाषाओं के समन्वय एवं समभाव के कारण ही संभव है । हिंदी और अन्य भाषाओं के समभाव से ही यह संभव है कि दिल्ली एवं उत्तर भारत के बहुत से स्थान हिंदी बाहुल्य होने के बावजूद 'उर्दू' के शब्द उपयोग में लाते हैं व स्थानों और गलियों के नाम भी उर्दू में अंकित है तथा दक्षिणी भारत में हर राज्य की अपनी स्थानीय भाषा है परंतु लगभग सभी दक्षिणी राज्य सौहार्द से हिंदी अपनाते हैं हालांकि अभी तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ भाषाई मुद्दे देखे गए जो कि नगण्य हैं । हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में एक-दूसरे के प्रति परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं परंतु वर्तमान में भाषा के नाम पर राजनीति के कारण यह संबंध थोड़ा कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं ।

हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समभाव :

हिंदी देश की एक महत्वपूर्ण भाषा है । यह देश के लगभग 43% लोगों द्वारा उपयोग की जाती है । यह एक आधिकारिक भाषा भी है, हिंदी की विश्वसनीयता एवं लोकप्रियता के कारण ही संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को इसे देश की एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया । भले ही यह देश के एक बड़े हिस्से द्वारा उपयोग की जाती हो परंतु अन्य भाषाओं की भी उपयोगिता हमें याद रखनी चाहिए । यही कारण है कि आज देश में 22 भाषाओं को आठवीं अनुसूची में रखा गया जिनके संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु सरकार कार्य कर रही है ।

आज भारत में इतनी भाषाएं होने के बावजूद अपनी समन्वित करने की संस्कृति के कारण हम एकजुट हैं ।

भारत की संस्कृति सदा से ही 'अनेकता में एकता' की रही है । यही कारण है कि यहां की संस्कृति ने अनेकों विदेशी संस्कृतियों से सीखा भी है और स्वयं में उनके तत्व समाहित भी किए हैं । साथ ही दूसरों को भी बहुत कुछ सिखाया है ।

हालांकि आज के परिवेश में हम देखते हैं कि हिंदी बोलने वाले लोगों व अन्य भाषाओं के लोगों में टकराहट हो रही है परंतु ये कुछ एक अपवाद मात्र हैं, हमारी संस्कृति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है व हम एक-दूसरे की भाषाओं को सीखने वाले हैं ।

भाषा को लेकर कट्टरता मूर्खतापूर्ण है, हिंदी एवं अन्य भाषाओं को लेकर हमें कट्टर नहीं होना चाहिए । भारत के हर नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति बचाने व उसका संवर्धन करने की स्वतंत्रता है । हमें हर भाषा का, भले ही वह देश के बहुत कम लोगों द्वारा बोली जाती हो, सम्मान करना चाहिए । भारत भले ही विशाल है किंतु इसमें अनेक ऐसे तत्व मौजूद हैं जो हमें एकता में बांधे रखते हैं । भारतीय भाषाओं के संदर्भ में मुख्यतः भाषाओं की जननी 'संस्कृत' है इसलिए हर भाषा में बहुत से शब्द समान ही है या मिले-जुले शब्द हैं । जैसे हिंदी शब्द 'भयंकर' मलयालम में 'भयंकरम्' हो जाता है । दोनों का मतलब समान ही होता है ।

हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के समभाव में चुनौतियां:

हिंदी मुख्यतः उत्तर भारत एवं उत्तर पूर्व भारत में बोली जाती है । अतः दक्षिण के राज्य इसे अपनी भाषा के लिए खतरा मान रहे हैं कि हम क्यों सीखें, दूसरों की भाषा । इसी का फायदा उठाकर भाषाओं का राजनीतिकरण होने लगा है जो कि देश की प्रगति के लिए सही नहीं है ।

हिंदी देश की आधिकारिक भाषा है अतः केंद्र सरकार इसे प्रोत्साहित करती रहती है । उदाहरण के लिए केंद्र सरकार कार्यालयो द्वारा 'हिंदी दिवस' का आयोजन, हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना इत्यादि । इसलिए अन्य भाषाओं वाले इसे 'हिंदी थोपना' सोचते हैं और विरोध करते हैं ।

दक्षिण भारत में हर स्थान पर हिंदी लिखी होती है परंतु जब वे उत्तर भारत भ्रमण करते हैं तो उन्हें निराशा महसूस होती है।

मुख्यतः लोग आजीविका हेतु प्रस्थान करते हैं । उत्तर भारत के लोग भी दक्षिण भारत में रहते हैं अतः दक्षिण भारत के लोग इसे अपने व्यवसाय पर खतरा मान विरोध करते हैं ।

हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के समभाव हेतु सुझाव:

- भाषा को राजनीति से दूर रखना चाहिए । हर व्यक्ति को अपनी भाषा बोलने की स्वतंत्रता है एवं हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए ।
- प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा को भी सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि सामाजिक समन्वय बना रहे व हम मिलजुल कर रहें।
- हर नई भाषा सीखने पर सरकार द्वारा व्यक्ति को सम्मानित करना चाहिए ताकि लोग नई-नई भाषाएं सीखें एवं देश में समन्वय बना रहे ।
- सिनेमा का भी महत्वपूर्ण योगदान है । हर भाषा की फिल्मों को 'डब' करना चाहिए ताकि अन्य भाषा-भाषी भी फिल्मों के माध्यम से एक नई भाषा सीख सकें ।
- हर भाषा का साहित्य अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होना चाहिए ताकि लोगों में भाषाओं के प्रति सम्मान जागृत हो ।
- कोई भी भाषा विरोधी मुद्दा आए तो उसे तुरंत सुलझाना चाहिए ताकि भाषा विरोधी ताकतें दूर रहें एवं लोग सूकून भरा जीवन जी सके ।

कोरी स्लेट

पारस कुमार शिवा
सहायक लेखा अधिकारी

सर्द रात को छत पर लेटकर तारों को देखना आम दिनों में यहां कहां नसीब होता है, अक्सर तो जीवन गर्दन झुकाए ही निकल जाता है, तारों को देखने को मिलता भी तभी है जब या तो व्यक्ति बिल्कुल मुक्त हो या बिल्कुल व्यथित । व्यथा का अंतिम चरण ही निश्चिंतता लाता है, जब वह इतनी असहनीय हो जाये कि उसे छोड़ने के अलावा कोई और चारा न हो ।

पड़ोस वाले घर में छत पर लालटेन जली होने से थोड़ा उजियारा सा है । उसकी लौ भी धीमी और तेज हो रही है, लगता है इसकी भी तारो से होड़ लगी है । बस सुबह तक की ही बात है, सुबह होते ही तारे मैदान छोड़ देंगे, बस तब तक इसे टिके ही रहना है । बीच-बीच में एक-दो बादल भी आते हैं और चले जाते हैं । रात में यह पहचानना मुश्किल है कि बादल काला था या सफेद । रोशनी के अभाव से गोरे, काले सब बादल एक से लगते हैं ।

काली रात को देखकर स्लेट की भी याद आती है - जीवन भी स्लेट की तरह ही है । शुरुआत में सबको कोरी मिलती है - फिर चाहे इसे सुंदर शब्दों से भरें या अपशब्दों से और अंत में स्लेट को फिर कोरा हो जाना है फिर चाहे उस पर कुछ भी लिखा हो पर जीवन और स्लेट में एक फर्क है । स्लेट पर लिखा हुआ हम बार-बार लिख कर मिटा सकते हैं पर जीवन में एक बार लिखा हुआ नहीं । जीवन की स्लेट पर लिखा हुआ केवल एक बार मिटता है और फिर स्लेट टूट जाती है । हम सभी कितनी बार ऐसा सोचते हैं कि जीवन की कोरी स्लेट दोबारा मिले और हम फिर से अपने सुंदर अक्षरों में लिखे । पर यह देखने वाली बात है कि हम यह सोच पा रहे हैं क्योंकि हमें स्लेट पर लिखने का अनुभव है और उस पर अनुभव के बिना हम आज यह भी नहीं सोच पाते ।

जिस प्रकार स्लेट पर लिखने में चॉक घिसती है, उसी प्रकार जीवन की स्लेट पर आदमी घिसता है, घिसते-घिसते छोटा हो जाता है और अंत में बस चूरा बन हवा में उड़ जाता है । उड़ने के बाद वह कहां जाता है, नहीं पता पर लिखा हुआ जरूर रहता है, वही स्मरण किया जाता है और किया जाना चाहिए । खुद को घिसकर चॉक ने क्या संदेश दिया यही मूल्यवान है, चॉक कहां से आई, कहां गई यह इतना मूल्यवान नहीं है । चॉक के सफेद होने में राज़ है, काली स्लेट पर कोई और रंग उतने अच्छे से नहीं दिखता ।

स्लेट के रंग को देख कर भैंस की भी याद आती है, काले अक्षर की तुलना अक्सर इससे की जाती है पर काला अक्षर काली स्लेट बराबर भी तो हो सकता है । स्लेट काली होते हुए भी हम सबका भविष्य उज्ज्वल ही बनाती है । इससे साबित होता है कि खुद काले होते हुए भी औरों को प्रकाशित किया जा सकता है ।

रेत की इबारत

वीरेन्द्र कुमार
सहायक लेखा अधिकारी

वो धूप, वो बादल,
वो नलके का पानी,
नानी के किस्से,
दादी की कहानी।।
वो फूल, वो तितली,
वो बचपन की रानी,
मुकम्मल प्यार,
अधूरी कहानी।।
सब गांव में रह जाती है।
जब नौकरी दूर मिल जाती है।।

वो मिट्टी की खुशबू,
वो आमों की डाली,
वो जुते हुए खेत,
और पगडंडी खाली।।
वो पहली किताबें,
वो टूटी हुई थाली,
मिट्टी में लिपटी,
वो यादों की लाली।।
सब कल्पना बन जाती है
जब नौकरी दूर मिल जाती है।

मक्के की रोटी,
वो सरसों का साग,
जून की दोपहरी
सर्दियों की आग।।
साँझ की आरती,
बह की उजास

वो करौंदा वो कमरख
वो गुड़ की मिठास।।
स्वाद मात्र रह जाती है
जब नौकरी दूर मिल जाती है।

बारिश की बूंदों में ,
दौड़ना और भीगना,
कागज़ की नावों का,
नालियों में तैरना।
संतरे वाली टॉफी,
वो मीठा खज़ाना,
जेबों में पलता,
वो सपना सुहाना।
कितनी याद आती है
जब नौकरी दूर लग जाती है।

सावन का झूला
वो पेड़ो की छांव
सर्दियों के कोहरे
वो जलते अलाव
कसेहरी की झोपडी,
वो छत की कहानी,
कंचों की टोली,
वो होली दीवानी।।
सब ख़्वाब बन जाती है
जब नौकरी दूर मिल जाती है।

सुबह की पहली चाय

वीरेन्द्र कुमार
सहायक लेखा अधिकारी

"एक रोज अपने आप को मैं चाय पर बुलाऊंगा"

सुबह की पहली चाय ,
हर रोज ठंडी हो जाती है
मैं दफ्तर देर से पहुंचता हूं,
घड़ी पहले पहुंच जाती है
रोज की इस भागदौड़ में ,
खुद से मिलना छूट गया,
दर्पण में चेहरा तो है,
पर वो चेहरा रूठ गया।
जब बाहर से खुश होता हूं,
तो अंदर से थक जाता हूं।
हर दिन की इस रेस में ,
मै कुछ पीछे रह जाता हूँ,
हर किसी से मिल लेता हूँ,
पर खुद से नज़र चुराता हूँ।
मैं भी हूं, ये बात स्वयं को,
फुरसत में बतलाऊंगा।
एक रोज अपने आप को मैं चाय पर बुलाऊंगा।

कभी जो ख्वाब देखे थे,
अब धुंधले से लगने लगे हैं,
वीरू तुमसे न हो पाएगा ,
ये बातें लोग करने लगे हैं।
जब ओखल में सिर दे दिया ,
तो मूसल से क्या डरना
राही का तो काम ही है,
चलना गिरना और संभालना।
सबको समझा, सबको सुना -
अब खुद को समझाऊँगा।
गर्म चाय की चर्चा पर मै तुमको भी बुलाऊंगा।
एक रोज अपने आप को मैं चाय पर बुलाऊंगा।

पुरानी डायरी की वो अधूरी कविता,
जब भी याद आती हैं,
आलमारी से वो पुरानी जींस
निकल कर बाहर आ जाती है,
कमरे का सन्नाटा टूटता है,
किसी की आहट की एक मायूसी जग जाती है।
सांवला रंग, पांव की पायल,
कान की बाली, कमर तक बाल ,
सब अब भी ज़हन में कैद हैं।
तू निकलकर इन तस्वीरों से,
बैठ जाए बगल के सोफे पर,
ये उम्मीद हृदय में आज भी शेष हैं।
उन्हीं पलों की गर्माहट में , मै एक रोज लौट जाऊँगा।
जिस रोज अपने आप को मैं चाय पर बुलाऊंगा।।

फिर ना कोई फ़ोन बजेगा,
ना कोई मीटिंग होगी,
न *weekly* क्लोजिंग होगी
न *monthly* रिपोर्ट होगी।
न घड़ी की सुइयाँ दौड़ेंगी,
न कोई हड़बड़ी होगी।
न जीत की उम्मीद,
न किसी से हारने का डर
और न कोई रेस होगी।
बस चूल्हे की धीमी आंच पर
मेरी चाय बनेगी
जब दूध में चीनी, चायपत्ती, अदरक
और कूट के इलायची डलेगी।
फिर बस मैं, मेरी तन्हाई,
उसकी आहट, उसी की परछाई
उसकी क़ुबूल हुई दुवाएं
और मेरी अनसुनी फरियाद होगी ।

गैर मुकम्मल ख़्वाब होंगे,
सारे जवाब होंगे,
और इब्रिक में चाय होगी।
वो एक दिन मै अपने लिए, जी कर दिखाऊंगा
एक रोज अपने आप को मैं चाय पर बुलाऊंगा।
फिर शायद मैं जो चाहूंगा उस दिन वो कर पाऊंगा,
रात भर जागकर और दिन में सो जाऊंगा
जिस रोज मैं अपने आप को चाय पर बुलाऊंगा।

राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह

राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 26 जून 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह' का भव्य आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे और इस अवसर पर 'राजभाषा विभाग 50: स्वर्णिम शुरुआत-सभी भारतीय भाषाओं के साथ' थीम के तहत विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई कार्यक्रमों के साथ एक स्मारिका सिक्का भी जारी किया गया । इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री बंडी संजय कुमार, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरि महताब, राज्यसभा सांसद श्री सुधांशु त्रिवदी और राजभाषा विभाग की सचिव श्रीमती अंशुली आर्या सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत की आज़ादी की शताब्दी के समय देश के स्वाभिमान के पुनर्जागरण के सभी प्रयासों में 1975 से 2025 तक की राजभाषा विभाग की 50 साल की इस यात्रा को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग की स्थापना का उद्देश्य था कि देश का शासन नागरिकों की भाषा में चले और प्रशासन में भारतीय भाषाओं का उपयोग कर देश के आत्मसम्मान को जागृत किया जाए । श्री शाह ने कहा कि कोई भी देश अपनी भाषा के बिना अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और सामाजिक संस्कार को चिरंजीव नहीं रख सकता । अपनी संस्कृति के आधार पर आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए देश का शासन उसकी अपनी भाषाओं में होना चाहिए। इस महान उद्देश्य के साथ राजभाषा विभाग की शुरूआत हुई थी और 50 वर्ष की यह यात्रा आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जब हमें इसे आगे ले जाने का प्रयास और पूरा रास्ता तय करना है । उन्होंने कहा कि संघर्ष, साधना और संकल्प के आधार पर इस 50 साल की यात्रा को हम सबने मिलकर पूरा किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए पंच प्रण में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति बहुत महत्वपूर्ण प्रण है। जब तक व्यक्ति अपनी भाषा पर गौरव नहीं करता, अभिव्यक्ति, सोच, विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता को अपनी भाषा में नहीं गढ़ता, तब तक हम गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा होती है । हमारी जड़ें, परंपराएं, इतिहास, पहचान और जीवन संस्कृति भाषा से कटकर आगे नहीं बढ़ सकते और भाषाओं को जीवंत रखना और समृद्ध करना बहुत ज़रूरी है । उन्होंने कहा कि हमें आने वाले दिनों में सभी भारतीय भाषाओं और विशेषकर राजभाषा के लिए ये सभी प्रयास करने चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 11 साल में एक भारत, श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरूआत की और इसके अंतर्गत काशी-तमिल संगमम, काशी-तेलुगू संगमम, सौराष्ट्र-तमिल संगमम, शाश्वत मिथिला महोत्सव और भाषा संगम ने देश की एकता को मज़बूत करने का बहुत अच्छा मंच प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि आज भाषा संगमम की पहल पर हर स्कूल में छात्रों को बोलचाल के 100 वाक्य संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में सिखाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि भाषा संगमम द्वारा शुरू की गई यह पहल आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं की संजीवनी बन कर एक वट वृक्ष के रूप में आगे बढ़ेगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि राजभाषा विभाग ने हिंदी शब्दसिंधु की रचना की है जो राजभाषा को स्वीकृत, लचीली और संपूर्ण बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा को समृद्ध करने से परहेज़ नही होना चाहिए और आम बोलचाल के शब्द, चाहे किसी भी भाषा के हों, एक बार हिंदी शब्दसिंधु में आ जाते हैं तो आने वाले दिनों में वे शब्द हिंदी के शब्द के रूप में ही प्रतिष्ठित होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हिंदी शब्दसिंधु आने वाले दिनों में हिंदी को न सिर्फ लचीली और समृद्ध बनाएगा बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं से भी जोड़ेगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इसी वर्ष भारतीय भाषा अनुभाग की भी स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी और भारतीय भाषाएं मिलकर ही हमारे आत्मगौरव के उत्थान के कार्यक्रम को अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषा अनुभाग हर राज्य को सहायता करेगा कि राज्यों और भारत सरकार का प्रशासन भारतीय भाषाओं के आधार पर ही हो। श्री शाह ने कहा कि हमारे देश में 12 भाषाओं में तकनीकी शिक्षा की शुरूआत हुई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने हिंदी में मेडिकल शिक्षा की शुरूआत की है, पूरा पाठ्यक्रम बनाया है और आने वाले दिनों में अन्य राज्य भी भी मेडिकल शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम अपनी भाषाओं में तैयार कर बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि सभी राज्य इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा अपने राज्य की भाषा में उपलब्ध कराने का प्रबंध करें।

श्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी राज्य अपनी मातृभाषा की उपेक्षा कर कभी महान नहीं बन सकता और मोदी सरकार ने अपनी भाषाओं को सम्मानित और प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि आज भारत में संस्कृत, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली के रूप में 11 शास्त्रीय भाषाएं उपलब्ध हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में संस्कृत के लिए तीन केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए और अनुसंधान और अनुवाद

के लिए केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई। श्री शाह ने कहा कि संसदीय राजभाषा समिति ने पिछले 4 वर्षों में 3 खंड प्रकाशित किए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद 3 खंड प्रकाशित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 तक कुल 9 खंड प्रकाशित हुए थे और अब 2019 के बाद 3 खंड प्रकाशित हुए हैं जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोविड के दौरान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा ई-प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि और हिंदी अनुवाद में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था जिसे अब नियमित करने का निर्णय लिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2020 में नई शिक्षा नीति लाए। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र के लिए शिक्षा नीति, आने वाले 50 साल में देश किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, इसकी परिचायक होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में कक्षा 5 और कक्षा 8 तक मातृभाषा और स्थानीय भाषा पढ़ाने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी भाषाओं के विकास का समर्थन नीतिगत रूप से किया गया है और 22 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में प्राथमिक कक्षा की 104 पुस्तकें भी शुरू की गई हैं। श्री शाह ने कहा कि भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए कक्षा 1 से 12 तक के लिए अनुवादित शिक्षण सामग्री और पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। 200 से अधिक टीवी चैनल्स 29 भाषाओं में शैक्षिक सामग्री प्रदान करते हैं और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 133 बोलियों में 3 लाख 66 हज़ार से अधिक ई-सामग्री उपलब्ध कराई है जिनमें 7 विदेशी भाषाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यह पहल राजभाषा और भारतीय भाषाओं को मज़बूत करने में सहायक सिद्ध होगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में हवलदार पद के लिए परीक्षा अब भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाती है और 95 प्रतिशत परीक्षार्थी अपनी मातृभाषा में परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।

श्री अमित शाह ने कहा कि राजभाषा विभाग ने तय किया है आने वाले दिनों में हम भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से भारतीय भाषाओं को किशोरों और युवाओं की भाषा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि विगत कुछ दशकों में भाषा को भारत को तोड़ने का ज़रिया बनाया गया था, लेकिन इस प्रयास में सफलता नहीं मिली। गृह मंत्री ने कहा कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारी भाषाएं भारत को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनें। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज रखी जा रही नींव 2047 में एक विकसित और महान भारत की रचना करेगी। इसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं को उन्नत और समृद्ध बनाने के साथ ही इनकी उपयोगिता भी बढ़ाई जाएगी ।

इसी उपलक्ष्य में हैदराबाद में, "दक्षिण संवाद" स्वर्ण जयंती समारोह का भव्य आयोजन 11 जुलाई, 2025 को हैदराबाद, तेलंगाना के जीएमसी बालयोगी इंडोर स्टेडियम में सफलतापूर्वक किया गया। यह समारोह भारत की आज़ादी के शताब्दी वर्ष की ओर बढते हुए, भाषाई विविधता और हिंदी के महत्व को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण कदम था, जहाँ विभिन्न भाषाओं के सम्मान और उन्हें प्रतिष्ठित करने पर जोर दिया गया ।

इस अवसर पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं जनसेवा पार्टी के प्रमुख श्री पवन कल्याण, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह और प्रसिद्ध हिंदी शिक्षाविद तेलंगाना प्रोफेसर माणक्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपने संबोधन में कहा कि तेलुगु भाषा हमारी माँ है, जबकि हिंदी हमारी मौसी के समान है। हिंदी सीखने से हमारी क्षेत्रीय पहचान को कोई खतरा नहीं होता, बल्कि यह भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय फिल्मों को हिंदी में डब करने से अच्छी कमाई होती है, लेकिन हिंदी सीखने पर आपत्ति जताना दोहरा रवैया है।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हिंदी का विरोध राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदी के खिलाफ बोलते हैं और आंदोलन करते हैं, वह भाषा का नहीं, बल्कि राजनीतिक मुद्दा है। यह वोट बैंक की राजनीति है। उन्होंने राजभाषा विभाग को "दक्षिण संवाद" स्वर्ण जयंती समारोह की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं और अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया और राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को शील्ड एवं प्रमाणपत्र से सम्मानित किया।

चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था

अंकित पाल
कनिष्ठ अनुवादक

चोल राजवंश का प्रथम शासक विजयालय (859 ई० -871 ई०) था । चोल सिक्कों से उनके संपूर्ण तमिल क्षेत्र पर आधिपत्य के संकेत मिलते हैं । चोलों के विषय में हमें विभिन्न लेखों व अभिलेखों तथा सिक्कों जैसे धवलेश्वरम में प्राप्त किए गए स्वर्ण व रजत सिक्के, लेखों में तिरुवालंगडु और करंडै के दानपत्र, राजाओं की प्रतिमाओं (उदाहरण के लिए तंजौर मंदिर में सुंदर चोल व राजेंद्र चोल की प्रतिमाओं) के साथ ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पर पेरिप्लस, टॉलेमी, मार्को पोलो, चाऊ-जू-कूआ जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण प्राप्त हैं, जिनसे हमें चोल साम्राज्य व वहां की शासन व्यवस्था की कुछ प्रमुख बातें जानने को मिलती हैं ।

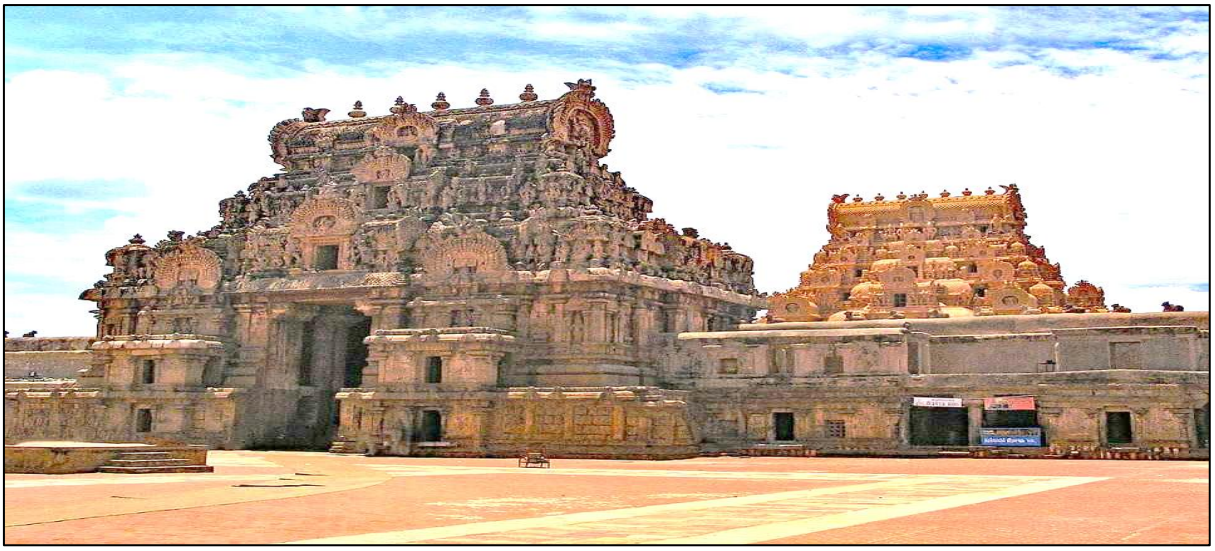

तंजावुर स्थित चोलकालीन बृहदेश्वर मंदिर

चोल शासन व्यवस्था का प्रशासनिक ढांचा इस साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पक्षों में से एक है जिसके विषय में ज्यादातर जानकारी राजाओं की प्रतिमाओं और चाऊ-जू-कुआ के लेखों से मिलती है । चोल सम्राटों ने एक विशिष्ट शासन व्यवस्था का निर्माण किया जो दो महत्वपूर्ण भागों - केंद्रीय नियंत्रण (एक व्यापक अधिकारी तंत्र) व स्थानीय स्वायत्तता - में विभाजित थी । इसमें सम्राट, अधिकारी तंत्र, स्थानीय स्वशासन, भू- राजस्व, सैन्य-व्यवस्था व न्याय व्यवस्था आदि प्रमुख हैं जिनका विवरण इस प्रकार है-

- **सम्राट -** चोल शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था परंतु वह निरंकुश न होकर धर्म व आचार के अनुरूप कार्य करता था। आरंभिक चोल सम्राट विनम्र उपाधियां धारण करते थे, परंतु बाद में 'चक्रवर्ती गल' व 'त्रिलोकी' सम्राट जैसी उपाधियां भी धारण की जाने लगी । राज्याभिषेक तंजौर, चिदंबरम, कांचीपुरम आदि स्थानों के भव्य राजप्रासादों में होता था। मृत राजाओं के मंदिर व उनकी प्रतिमाएं सम्राट में दैवीय गुणों की धारणा को पोषित करती थीं। तंजौर मंदिर में सुंदर चोल व राजेंद्र चोल की प्रतिमाएं इसका अच्छा उदाहरण हैं। चीनी लेखक चाऊ-जू-कुआ सम्राट का विवरण देते हुए कहते हैं कि राजकीय भोजों के समय राजा और उसके चार मंत्री राजसिंहासन के नीचे खड़े होकर अभिवादन करते हैं। तत्पश्चात वहां खड़े सभी लोग संगीत, गीत और नृत्य आरंभ कर देते हैं। राजा शराब नहीं पीता है किंतु मांस खाता है। स्थानीय प्रथा के अनुसार वह सूती वस्त्र पहनता है । अपने रक्षकों के तौर पर वह हजारों नर्तक लड़कियों को नियुक्त कर रखता है। प्रतिदिन तीन हजार लड़कियां उसकी सेवा में लगी रहती हैं। सम्राट प्रायः जीवनकाल में ही युवराज या उत्तराधिकारी का चुनाव कर लेता था व उसकी रुचि ज्यादातर सार्वजनिक हित के कार्यों यथा मंदिर निर्माण, कृषि योग्य भूमि, सिंचाई के साधन, विद्यालयों व औषधालयों में होती थी। इसके अलावा राजपरिवार व्यवस्था भी बड़ी व्यापक थी। राजाओं द्वारा बड़ी उदारता से संरक्षण प्रदान किया जाता था। सम्राट के आदेश प्रायः मौखिक होते थे जिन्हें सावधानीपूर्वक लिखकर विभिन्न प्रांतों के अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाता था। चोल राजा प्रधान न्यायालय (ओलई) के अतिरिक्त सभी विभागों के प्रतिनिधियों 'उडडनकुट्टम' के पदों पर प्रायः अपने निकट सेवकों को रखता था। राजगुरु सभी धार्मिक व सांसारिक मामलों का परामर्शदाता होने के साथ-साथ राजा का विश्वासपात्र व पापमोचक हो गया था। चोल सम्राट के सेवक 'दल्लम' के रूप में संगठित थे। मार्को पोलो के विवरण के अनुसार राजा के सेवक उसके साथ ही उसकी चिता पर जल कर मर जाते थे।
- **अधिकारी तंत्र -** चोल प्रशासन अधिकारियों की एक सुसंगठित संस्था द्वारा कार्यान्वित होती थी। इसमें विभिन्न दर्जे के अधिकारी होते थे। सबसे ऊपर 'पेरुनंदनम' होते थे व सबसे निचले पायदान पर 'शिरुदनम' होते थे, साथ ही विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि 'उडनकुट्टम' भी रहते थे। प्रो. के ए एन शास्त्री के अनुसार ये 'उडनकुट्टम' हर समय राजा के समीप रहते हुए राजा व राज्य के नियमित कर्मचारियों के बीच एक कड़ी बन कर्मचारियों को राज्य की नीति, वहीं राजा को प्रांतों की आवश्यकता से अवगत कराते थे। समाज में अधिकारियों का एक अलग वर्ग होता था। यह भी उल्लेखनीय है कि नागरिक और सैन्य सेवाओं में कम ही अंतर था। उनकी नियुक्ति के विषय में कम ही जानकारी है पर ऐसा जान पड़ता है कि उत्तर भारत की तरह इनका चयन जाति, कुल व संबंधों आदि के आधार पर ही होता था। पद अनुवांशिक भी होने लगे थे। भुगतान के तौर पर अधिकारियों को भूखंड व युद्ध में लूटी गई संपत्ति का अंश दिया जाता था। सम्राट जब किसी विषय पर निर्णय देता तो उससे संबंधित सभी अधिकारी वहां उपस्थित होते थे तथा 'औले' नामक अधिकारी राजा के आदेशों को अस्थायी तौर पर तैयार करता था जिसकी जांच 'औलेउनायगम' जैसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती थी, तत्पश्चात यह आदेश भली-भांति लिपिबद्ध कर विभिन्न विभागों तक पहुंचाया जाता था।

- **स्थानीय प्रशासन -** चोल साम्राज्य छः प्रांतों में विभक्त था । ये प्रांत मंडल कहलाते थे, इन मंडलों के अंतर्गत कई वलनाडु आते थे । वलनाडुओं के अंतर्गत कई नाडु आते थे और नाडु की सभा नाट्टार होती थी । मंडलम का शासन कार्य वायसराय युवराज या वरिष्ठ अधिकारी अथवा पराजित राजा द्वारा होता था जिनका अपना न्यायालय व सेना होती थी । इन वायसराय जैसे अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखने के लिए उनके ऊपर केंद्र का एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता था ।

नाडु का मुख्य कार्य भूमि का प्रबंध व वर्गीकरण, भू-राजस्व की दरें लागू करना, दान देना तथा मंदिरों की देखरेख करना था । इसके दो उदाहरण इस प्रकार है - 1. कुलोत्तुंग के शासनकाल में पुरमलैनाडु के नाट्टार द्वारा तीर्थमलै मंदिर के पुजारी की नियुक्ति, 2. करिकाल कालीन लेख के अनुसार वाणगप्पाडि के नाडु को वालैयुनरकर यौगवाणर मंदिर का प्रबंध सौंपा जाना । साथ ही नाडु की न्याय व शांति के लिए बहुत से नाडुओं का एक संगठन बनाया जाता था, जैसे कि राजराज प्रथम के एक लेख में बारह नाडुओं का उल्लेख आदि । नाडु के खर्च के लिए नाडु विनियोगम कर लिया जाता था । साथ ही अक्षयनिधियां भी प्राप्त की जाती थी । नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ 'कुर्रम' आते थे । व्यापारिक संस्थाओं को सरकारी मान्यता व व्यापारिक नगरों में 'नगरम' नामक व्यापारियों की सभा व अपनी सेना भी होती थी । बड़े नगरों में अलग कुर्रम तनियूर होते थे ।

चोलकालीन तांबे की मुद्रा

ग्राम शासन के अंतर्गत ग्रामीण संस्थाओं का स्वायत्तशासी होना चोल शासन की असाधारण शक्ति थी । स्वायत शासन को पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया । उदाहरण के लिए उत्तरमेल्लर से 1919 तथा 1920 ई. में प्राप्त दो लेखों में हमें ग्राम सभा की कार्यसमितियों की कार्यप्रणालियों का वर्णन मिलता है । ग्रामीण प्रशासन के दैनिक कार्यों में लगे कर्मियों के अलावा एक विशेष व्यवस्था के तहत किसी स्थानीय सामंत या अधिकारी द्वारा प्रस्तुत 'पडिकावल कूली' नामक सुरक्षा कर के बदले में उसके द्वारा उस क्षेत्र के लोगों के जान-माल की रक्षा की जिम्मेदारी ली जाती थी । केंद्रीय सरकार की शक्ति का ह्रास होने से ये व्यवस्था मजबूत हो रही थी । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारी ग्रामों के प्रशासक कम परामर्शदाता व प्रेक्षक अधिक थे जिससे ग्राम स्वायत्त संस्था अर्थात ग्रामों पर ग्रामीणों का शासन संभव हुआ और इसी कारण इतिहासकार मानते हैं कि ऊपरी स्तर पर होने वाले राजनैतिक परिवर्तनों के बहुत हस्तक्षेप के बिना स्थानीय विकास निरंतर होता रहा जिसके फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों की तुलना में तमिल प्रदेश में अधिक व्यापक सांस्कृतिक निरंतरता देखी जा सकती है ।

ग्रामों को स्वशासी बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसे व्यापक अधिकार प्राप्त थे । इसके लिए मुख्यतः दो संस्थाएं कार्यरत थी जिसमें 'उर' प्रमुख है । प्रो. नीलकंठ शास्त्री के अनुसार 'उर' एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल गांव और नगर दोंनो तरह के स्थानों के लिए प्रयुक्त होता था । कुछ लेखों जैसे 'ऊरान ईरैन्दू उरोम' से संकेत मिलता है कि बैठकों में सभी ग्रामवासी या आमजन शामिल होते थे । उर की कार्यसमिति 'आलुंगणम' कहलाती थी । कई बार सभी विषयों को देखने के लिए एक ही कार्य-समिति होती थी तथा कुछ कार्य-समितियों में विद्वान ब्राह्मण तथा कहीं-कहीं दो उर संगठन थे । इसके विपरीत इतिहासकार वाई. सुब्बरयालु उर के बारे में अलग मत देते हुए उर को बुनियादी तौर पर आवास का एक आरामदायक क्षेत्र मानते थे जिस पर मुट्ठी भर वेल्लल नामक जमींदारों का शासन या प्रभुत्व था । वे उर को धार्मिक गतिविधियां व मात्र स्थानीय मामले निपटाने वाली संस्था मानते हुए उसे विशेष राजनैतिक ढांचे वाला नहीं मानते हैं व इस संदर्भ में कार्य-समिति या कार्यकारी-परिषद की चर्चा निरर्थक मानते हैं । प्रो. शास्त्री के विपरीत, वे 'आलंगुणम' शब्द का प्रयोग उर के लिए न मानकर ब्रह्मदेय ग्रामों में ब्राह्मण प्रभुत्व वाली कार्य समिति जैसी संस्था के लिए मानते हैं तथा स्पष्ट कहते हैं कि प्रो. शास्त्री के 'कार्यकारी परिषद' से संबंधित अन्य मतों को भी अतार्किक मानना चाहिए ।

सभा या महासभा अग्रहार ग्रामों में होती थी जिन्हे 'ब्रह्मदेय' या 'मंगलम' भी कहा जाता था व जिसमें प्रमुखतया विद्वान ब्राह्मण रहते थे, व इनमें शासन हेतु महाजन नामक संस्था होती थी जिसमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधि होते थे । 'तोडमंडलम' व 'चोलमंडलम' के लेखों से कांची व मद्रास क्षेत्रों की संस्थाओं के बारे में पता चलता है जो अपनी समितियों 'वारियम' जिसके सदस्य वारियर कहलाते थे, द्वारा चलाई जाती थी । इन्हें कुछ विशेष कार्य जैसे देवदान भूमि का प्रामाणिक विवरण दर्ज करने व सीमांकन आदि का कार्य दिया जाता था तथा बदले में कोई पारिश्रमिक या पुरस्कार नहीं दिया जाता था । वारियम के अंतर्गत विभिन्न समितियां 1. तोट्टावारियाम 2. एरियवारियम 3. पोनवारियाम 4. पांचवार-वारियाम 5. संवत्सर वारियाम 6. उदासीन वारियाम 7. न्यायत्तर वारियाम 8. कोयिलवारियाम 9. गणवारियाम 10. महाजन आदि आते थे । इसके अलावा सभी समितियों को देखने वाली एक सामान्य समिति 'समवत्सवारियम' थी । महासभा को पेरुंगुरि व इसके सदस्य पेरुमक्कल तथा समिति के सदस्य वारियापेरुमचकल कहलाते थे ।

ग्रामसभा के सदस्यों की संख्या भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न थी व सभी वयस्क पुरुष इसके सदस्य होते थें । ये सभी निर्वाचित किए जाते थे जिसकी जानकारी हमें परांतक प्रथम के काल के दो अभिलेखों से मिलती है, जिसके अनुसार सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक गांव 30 वार्डों में विभक्त होता था तथा उसके लिए ऐसे सदस्यों जिनके पास डेढ़ एकड़ भूमि, वेद व भाष्य का ज्ञान, नेक व्यवहार, 35-70 वर्ष की आयु, अपराधहीन व अच्छा चरित्र आदि योग्यताओं को आधार बनाकर लॉटरी विधि द्वारा प्रत्येक वार्ड के लिए एक सदस्य का चयन किया जाता था । इनमें से 12 वयोवृद्ध सदस्य, जो उद्यान तथा तटाक समिति में रखे जाते थे व 360 दिनों तक अपना कार्य करते थे और साल के आखिरी 5 दिनों में हिसाब-किताब सौंपकर अवकाश ग्रहण करते थे। इसके

बाद 12 विभागों के न्याय निरीक्षण के सदस्य मध्यस्थ की सहायता से चुनाव कराते थे । एक वर्ष बाद पुनः चुनाव होता था जिसमें वही व्यक्ति चुने जाते जिनके द्वारा पिछले तीन वर्षों से कोई पद प्राप्त नहीं किया गया हो । इस तरह ग्राम का प्रत्येक व्यक्ति सदस्य पद के लिए चुना जा सकता था । ग्राम सभा की बैठकें प्रायः मंदिरों, मंडपों, गांव के बाहर वृक्षों के नीचे या तालाब के किनारे ढोल पीटकर बुलाई जाती थी ।

ग्राम सभा को राज्य द्वारा अनेक अधिकार प्रदान किए गए थे जैसे सामूहिक संपत्ति की खरीद और विक्रय, न्याय का कार्य, झगड़ों का निपटारा, भूमि तथा धान्य के रूप में जमा राशि प्राप्त करना व ब्याज के रूप में लौटाना, मंदिरों व शिक्षण संस्थानों का प्रबंधन, राजस्व संग्रह, स्वस्थ जीवन और संपत्ति की रक्षा व मध्यस्थ नामक वेतनभोगी कर्मचारी द्वारा निर्णयों का कार्यान्वयन आदि । इसके अलावा ग्राम सभा के अतिरिक्त गांव में कई निगम व समुदाय धार्मिक या आर्थिक अथवा सामाजिक प्रकृति के थे । धार्मिक प्रकृति के समुदाय जैसे अल-चालिगै शिव ब्रह्मणर, पतिपाद मूलत्तर, तिरुवुनलिंगैक आदि थे जिनमें गावों को शोरियों व खंडों आदि में बांटा गया था । इसके अलावा तवैच्चगाडु में बढ़ईयों, सुनारों, लुहारों, धोबियों, गड़रियों आदि के व्यावसायिक समुदाय 'कलनै' आदि के बारे में जानकारी मिलती है । 'बणज्ज' शब्द जो अनेक 'विवरणों' में मिलता है, से तात्पर्य व्यापारियों के व्यापक समुदाय से है ।

सभा या साथ ही उर भी जिन स्थानों पर पहले से होते थे, ब्राह्मणों को दान किए जाने के बाद दोनों संस्थाएं साथ कार्य करती थी । गांव के मूल निवासी उर में व ब्राह्मण नवगठित सभा में होते थे । इस प्रकार स्थानीय चोल प्रशासन समग्र रूप में देखने पर गांव, नगर व मंडल सभाओं द्वारा संचालित होता दिखाई देता है । ग्राम, जो इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है अपने कार्यों में मिली स्वायत्तता के कारण एक लघु गणतंत्र के समान व राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे ।

- **भूमि व राजस्व -** भूमिकर चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन था जो भूमि की माप व उर्वरता के आधार पर तय किया जाता था जो कि आधे से चौथाई हिस्से तक होता था और इसका संग्रह ग्राम सभाएं कराती थीं । राजराज प्रथम व कोलुतुंग प्रथम ने दो बार भूमि की माप कराई । भूमि की 12 से अधिक किस्मों का उल्लेख तथा बस्ती, मंदिर, तालाब, कारीगरों का आवास, शमशान आदि भूमि कर मुक्त थी । अकाल आदि आपदाओं के समय पर कर नहीं लिया जाता था । एक लेख में 'ब्रह्मोपाट्टन' - ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि, 'उपायम' - विद्यालयों आदि के लिए दी गई सेवा भूमि एवं 'ओल्लुकुबीर' पाट्टाम - जल- स्त्रोत का उल्लेख मिलता है । राजस्व विभाग की पंजिका 'वरितपोत्तगककणक्क' तथा चोलों के स्वर्ण सिक्के 'कुलक' या 'पोन' कहलाते थे । तालाब के रखरखाव के लिए 'एरियान' नामक कर वसूला जाता था । समय पर कर न चुकाने पर संपत्ति किसी अन्य को बेच दी जाती थी और बकाया कर पर ब्याज लगता था । तंजौर के कुछ ब्राह्मण लगान चुकाने में असमर्थ होने की वजह से अपनी संपत्ति बेचकर गांव से चले गए । कर न चुकाने पर लोगों को दंडस्वरूप पानी में डुबाकर मारने की

सजा भी दी जाती थी । भूमिकर के अतिरिक्त व्यापारिक वस्तुओं, खानों, वनों, वस्तुओं आदि पर कर व आर्थिक जुर्मानों द्वारा धन प्राप्त किया जाता था ।

- **सैन्य व्यवस्था** - चोल सम्राटों द्वारा एक विशाल सेना संगठित की गई थी जिसकी कुल संख्या एक लाख पचास हजार के लगभग थी जिसमें अश्व, गज व पैदल सैनिक शामिल थे तथा साथ ही यहां एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना थी जिसके माध्यम से उन्होंने मालाबार तट, कोरोमंडल तट व मलद्वीप पर कब्जा बनाए रखा था । चोल शासक स्वयं कुशल योद्धा थे व युद्धों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेते थे । 'बड़पेर' (पदाति सैनिक) 'बिल्लीगल' (धनुर्धर) सेना, गजसेना आदि का उल्लेख मिलता है । कुछ सैन्य दल नागरिक सेवा में भाग लेते थे व मंदिरों को दान देते थे । चोल सैनिक अत्यधिक अनुशासित, प्रशिक्षित तथा क्रूर एवं निर्दयी होते थे व विजय पाने के बाद शत्रुओं यहां तक कि स्त्रियों व बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे । वे शत्रुनगरों को ध्वस्त कर देते थे । कुछ सैनिक सम्राट की सेवा में व उसकी रक्षा में अपनी जान तक दे देते थे जो 'वेलैककारर' कहलाते थे । सैनिकों को भूमि देकर या राजस्व का कुछ अंश देकर भुगतान किया जाता था । मार्को पोलो का यह विवरण कि राजा द्वारा घुड़सवार सेना के लिए हर वर्ष 2000 घोड़े खरीदे जाते थे लेकिन साल के अंत तक मात्र 100 घोड़े ही बचते थे, उल्लेखनीय है ।
- **न्याय व्यवस्था** - लेखों के अनुसार चोल साम्राज्य में न्याय के लिए न्यायालय का गठन एवं धर्मसिन एवं धर्मसिन नट्ट की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है । इनके परामर्श से विवादों का निर्णय होता था तथा दीवानी व फौजदारी का अंतर अधिक स्पष्ट नहीं था । ज्यादातर अपराधों में सामान्यतः जुर्माने होते थे । नरवध तथा हत्या के लिए अपराधी को पड़ोस के मंदिर में अखंड दीप जलाने का प्रबंध करना पड़ता था । राजद्रोह भयंकर अपराध था ऐसे मामले राजा स्वयं देखता था । साथ ही मृत्यदंड के भी उदाहरण मिलते हैं । संपत्ति के स्वामित्व जैसे मामलों के निपटारे के लिए अग्नि परीक्षाएं भी ली जाती थी । 10वीं शताब्दी के चीनी लेखक चाऊ-जू-कूआ के अनुसार जब प्रजा में कोई व्यक्ति अपराध करता था तो राजा का कोई मंत्री सामान्य अपराध होने पर बतौर दंड अपराधी को एक लोहे की चौखट से बांधकर 50, 70 या 100 डंडे मरवाता था । जघन्य अपराधों में अपराधी का सिर काट दिया जाता था, हाथी के पैरों के तले कुचलवाकर भी दंड दिया जाता था । इसके अलावा विभिन्न मामलों में गवाही भी ली जाती थी । अतः समग्र रूप में चोल न्याय प्रशासन सुसंगठित व निष्पक्ष था ।

चोलकालीन नटराज की मूर्ति

इस प्रकार चोल प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन से पता चलता है कि यह एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली थी जिसमें केंद्रीय नियंत्रण व स्थानीय स्वायत्तता दोनों ही विद्यमान थी ।

केरल के राज्य प्रतीक

केरल का आधिकारिक प्रतीक चिह्न

केरल का प्रतीक चिह्न वह आधिकारिक मुहर है जिसका उपयोग केरल सरकार द्वारा अपने सभी आधिकारिक पत्राचार में केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है । इस प्रतीक चिह्न में भारत के राज्य प्रतीक की रक्षा करने वाले दो हाथियों और केरल के इतिहास का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्रीपद्मनाभस्वामी (महाविष्णु के एक रूप) के शंख, जो तिरुवितांकूर (ट्रावनकोर) साम्राज्य का प्रतीक था, को चित्रित किया गया है । केरल के वर्तमान प्रतीक को 1960 में अपनाया गया था, जब पट्टम ए ताणु पिल्लई की सरकार सत्ता में आई थी ।

राज्य का आदर्श वाक्य - सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते हिंदू ग्रंथ मुंडक उपनिषद के एक मंत्र का हिस्सा है जिसका अर्थ है "सत्य की ही विजय होती है" और यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है । भारत की स्वतंत्रता के बाद, इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था, जिस दिन भारत गणतंत्र बन गया था । सभी भारतीय मुद्रा और राष्ट्रीय दस्तावेजों के एक तरफ 'सत्यमेव जयते' सहित प्रतीक अंकित है ।

राज्य स्थापना दिवस - 1 नवंबर 1956

केरल दिवस मूल रूप से '*केरल पिरवी*' के रूप में जाना जाता है, जो दक्षिण भारत में केरल राज्य के जन्म का प्रतीक है । केरल राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1956 को भारत की स्वतंत्रता के लंबे समय बाद हुआ था । इससे पहले, यह तीन प्रमुख प्रांत और विभिन्न शासकों के अधीन कई क्षेत्र थे । 1956 से पहले, केरल को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: दक्षिण केनरा (कासरगोड क्षेत्र), मलाबार, कोचीन और त्रावणकोर ।

राज्य की भाषा – मलयाळम (മലയാളം)

मलयाळम एक द्रविड़ भाषा है, जो मुख्य रूप से मलयाळी लोगों द्वारा बोली जाती है, जो भारतीय राज्य केरल और लक्षद्वीप और पुडुचेरी (माही जिला) के केंद्र शासित प्रदेशों की मूल भाषा है । यह 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है, साथ ही भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं में से एक है । केरल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी (माही) में मलयाळम को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है । मलयाळम का संस्कृत और तमिळ जैसी अन्य भारतीय भाषाओं के साथ एक मजबूत संबंध है । ऐसा माना जाता है कि दो शब्दों, 'मला' यानि 'पहाड़ी' और 'अळम' यानि 'स्थान', के संयोजन से मलयाळम शब्द बना है ।

राज्य पशु - भारतीय हाथी (आना – ആന)

भारतीय हाथी एक सांस्कृतिक प्रतीक है और विभिन्न धार्मिक परंपराओं और पौराणिक कथाओं में दिखाई देता है । हिंदू धर्म में इसे गणेश के रूप में पूजा जाता है । इसे भारत में राष्ट्रीय विरासत पशु और केरल के राज्य पशु के रूप में नामित किया गया है ।

राज्य पक्षी - दि ग्रेट हॉर्नबिल (മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ - मलमुऴक्कि वेऴाम्बल)

दि ग्रेट हॉर्नबिल (बुसेरोस बाइकोर्निस) अथवा महाधनेश, जिसे कॉर्नकिव-कैस्क्ड हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल या ग्रेट पाइड हॉर्नबिल के रूप में भी जाना जाता है, हॉर्नबिल परिवार के बड़े सदस्यों में से एक है । यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है । इसे 2018 से असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है । इसके बड़े आकार, रंग और कई आदिवासी संस्कृतियों और अनुष्ठानों में महत्व के कारण, केरल सरकार ने इसे केरल का आधिकारिक राज्य पक्षी घोषित किया । यह अरुणाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है ।

राज्य तितली – बुद्धमयूरी

पापिलियो बुद्ध, मालाबार बैंडेड मोर, भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली तितली की एक प्रजाति है । केरल सरकार ने इसे आधिकारिक केरल राज्य तितली घोषित किया है । मलयालम में इसे बुद्धमयूरी कहा जाता है । यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है ।

राज्य की मछली – ग्रीन क्रोमाइड - करिमीन (കരിമീൻ)

ग्रीन क्रोमाइड (एट्रोप्लस सुरातेंसिस) सिक्लिड मछली की एक प्रजाति है, जो भारत के कुछ हिस्सों जैसे केरल, गोवा, ओडिशा में चिल्का झील और श्रीलंका में ताजे और खारे पानी में पायी जाती हैं । केरल सरकार ने ग्रीन क्रोमाइड या पर्लस्पॉट को केरल की आधिकारिक मछली घोषित किया । केरल में, इसे स्थानीय रूप से '*करिमीन*' के नाम से जाना जाता है ।

राज्य पुष्प – अमलतास (कणिक्कोन्ना – കണിക്കൊന്ന)

कैसिया फिस्टुला, जिसे गोल्डन शॉवर के रूप में भी जाना जाता है, फैबेसी परिवार में फूल वाला पौधा है । यह प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के आस-पास के क्षेत्रों में पायी जाती है । यह भारत में केरल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का आधिकारिक राज्य पुष्प है । यह थाईलैंड का भी राष्ट्रीय पेड़ और फूल है । यह एक लोकप्रिय सजावटी पौधा भी है और इसका उपयोग हर्बल चिकित्सा में भी किया जाता है ।

राज्य फल – कटहल (चक्का / ചക്ക)

कटहल (आर्टोकार्पस हेटरोफिलस) अंजीर, शहतूत और ब्रेडफ्रूट परिवार के पेड़ की एक प्रजाति है । यह पेड़ पर उगने वाला सबसे बड़ा फल है । कटहल का उपयोग आमतौर पर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई व्यंजनों में किया जाता है । इसके पके और कच्चे दोनों तरह के फलों का सेवन किया जाता है ।

राज्य वृक्ष – नारियल का पेड़ (തെങ്ങ്/तेङ्ङु)

नारियल का पेड़ (कोकोस न्यूसीफेरा) ताड़ पेड़ परिवार का सदस्य है । मूल रूप से मध्य हिंद-प्रशांत में पाया जाने वाला यह वृक्ष अब तटीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वव्यापी हैं और उष्णकटिबंधीय का सांस्कृतिक प्रतीक हैं । नारियल का पेड़ कई अन्य उपयोगों के साथ-साथ भोजन, ईंधन, सौंदर्य प्रसाधन, प्राकृतिक चिकित्सा और निर्माण सामग्री प्रदान करता है । नारियल केरल में कई लोगों के आहार का एक नियमित हिस्सा है । पके नारियल का उपयोग खाद्य बीज के रूप में किया जा सकता है, कठोर खोल से लकड़ी का कोयला और रेशेदार भूसी से कॉयर संसाधित किया जा सकता है । सूखे नारियल के गूदे को कोपरा कहा जाता है, और इससे प्राप्त तेल और दूध आमतौर पर खाना पकाने में, विशेष रूप से तलने के लिए, और साथ-साथ साबुन और सौंदर्य प्रसाधनों में भी उपयोग किया जाता है ।

केरल का राज्योत्सव

केरलीय जीवन की छवि यहाँ मनाये जानेवाले उत्सवों में दिखाई देती है। केरल में अनेक उत्सव मनाये जाते हैं जो सामाजिक मेल-मिलाप और आदान-प्रदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। केरलीय कलाओं का विकास यहाँ मनाये जानेवाले उत्सवों पर आधारित है । ओणम केरल का राज्योत्सव है। यह केरल का सबसे प्रमुख त्योहार है, जो फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है और राजा महाबली के स्वागत के लिए होता है । इसके अलावा, विषु, तृशूर पूरम जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण त्योहार भी हैं, जो केरल की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। केरल में साल भर कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार भी मनाए जाते हैं।

सेवानिवृत्ति पर बधाई

01.04.2025 से 30.09.2025 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी

क्र.सं.	नाम (श्री / श्रीमती)	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीवल्सन एम	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.04.2025
2.	मनोज के पी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.04.2025
3.	सुनीता सी के	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.04.2025
4.	विजया के	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.04.2025
5.	षीबा के आर	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.04.2025
6.	अजय कुमार जी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2025
7.	षॉबी जोस	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2025
8.	जयश्री एस नायर	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2025
9.	सुरेश कुमार ए पी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2025
10.	सुदर्शनन वी जी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2025
11.	जय कुमार पी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2025
12.	लोला आर	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.09.2025
13.	मधुसूदनन ई जी	सहायक लेखा अधिकारी	30.04.2025
14.	लीलावती एन जे	सहायक लेखा अधिकारी	30.04.2025
15.	श्रीलता जी	सहायक लेखा अधिकारी	30.04.2025
16.	बाबू रामचंद्रन एम	सहायक लेखा अधिकारी	30.04.2025

क्र.सं.	नाम (श्री / श्रीमती)	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
17.	वेलायुधन ए यू	वरिष्ठ लेखाकार	31.05.2025
18.	रवि लाल के	वरिष्ठ लेखाकार	31.05.2025
19.	गीताकुमारी वाई के	सहायक पर्यवेक्षक	31.05.2025
20.	पद्मकुमार एस वी	सहायक लेखा अधिकारी	31.05.2025
21.	संतोष कुमार वी एस	सहायक पर्यवेक्षक	31.05.2025
22.	रमेशन वी	सहायक पर्यवेक्षक	31.05.2025
23.	मुरलीधरन एम मुंडकांडियिल	सहायक पर्यवेक्षक	31.05.2025
24.	शंकर नारायणन टी पी	सहायक लेखा अधिकारी	31.05.2025
25.	सुमति ए	पर्यवेक्षक	31.05.2025
26.	एलिजबेथ मिनी जेकब	सहायक पर्यवेक्षक	31.05.2025
27.	षैनी ए एन	सहायक लेखा अधिकारी	31.05.2025
28.	जयकुमार एम	सहायक लेखा अधिकारी	31.05.2025
29.	एनी एंटो	सहायक पर्यवेक्षक	31.05.2025
30.	षाजितलाल एस के	पर्यवेक्षक	31.05.2025
31.	सुलभा सी एम	पर्यवेक्षक	30.06.2025
32.	विनू पी	सहायक पर्यवेक्षक	30.09.2025

जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता

डॉ. राजेंद्र प्रसाद

मैं उन लोगों में से हूं, जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्र भाषा हो सकती है

-बाल गंगाधर तिलक

राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है

महात्मा गांधी

हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है

- माखनलाल चतुर्वेदी

हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है

कमलापति त्रिपाठी

प्रकाशक

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), केरल का कार्यालय,
तिरुवनंतपुरम – 695001